Paramparagat Grāmsabhā Parhā Panchchā

परम्परागत ग्रामसभा पड़हा पंच्चा
खोंड़हा आईनतूड़ – 2024

परम्परागत ग्रामसभा पड़हा न्याय पंच्च
सामाजिक निर्देशिका – 2024

Traditional Gramsabhā Parha Nyāy Panch
(TGP Nyay Panch Social directory - 2024)

संकलन एवं अनुमोदन :

परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो, गुमला मण्डल

पताचार - पड़हा पिण्डा, ग्राम : टुकुसैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड)

तकनीकी सहयोग::

अद्दी कुँड़ुख़ चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा (अद्दी अखड़ा, निबंधित)

तोलोंग पिण्डा, बोड़ेया रोड, नगड़ा डिप्पा, चिरौन्दी, राँची, झारखण्ड, पिन-834006

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, (PESA 1996) की धारा 4 (d) के तहत, दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 को 22 गाँव के सदस्यों द्वारा ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल'' का दो दिवसीय सम्मेलन, स्थान – पड़हा पिण्डा, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड) में सम्पन्न हुआ और सम्मेलन की परिलब्धी को आम लोगों के अनुपालन हेतु स्वीकृत, अनुमोदित एवं प्रकाशित है।

तरपाँती – पईत्त पाब – पक्खे

1. माननीय हाईकोर्ट का आदेश और उराँव (कुँड़ुख़) समाज की सामाजिक न्याय पंच्च व्यवस्था – 02
2. PESA ACT 1996 की धारा 4(d) – 05
3. झारखण्ड सरकार, पंचायती राज, एन०आर०ई०पी० विभाग की अधिसूचना – 06
4. परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2023 एवं उच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा. – 07
5. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल 2024 का सामाजिक नियमावली – 08
6. माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड–छतीसगढ़ का आदेश एवं परम्परागत उरांव समाज की न्यायिक चुनौतियाँ – 24
7. परम्परागत उराँव आदिवासी समाज की अवधारना एवं अध्यात्मिक मान्यताएँ – 28
8. आदिवासी भाषा एवं लिपि विकास में पद्मश्री डॉ० रामदयाल मुण्डा के उत्प्रेरक विचार – 34
9. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2013 से 2023 तक का सामाजिक मुल्यांकन – 35
10. अमर शहीद बीर बुधू भगत का आन्दोलन और उरांव समाज का पड़हा–धुमकुड़िया–अखड़ा – 38
11. परम्परागत पड़हा पंच्चा एवं सरकारी न्यायिक व्यवस्था विषयक एक दिवसीय कार्यशाला रिर्पोट (टूड़मंजा) – 39

1. [illegible] (पेंच्छका = संपादकीय)

[illegible] special law for Hindu, Muslim and Christian. [illegible]

[illegible]

1. माननीय हाईकोर्ट का आदेश और उराँव (कुँड़ुख़) समाज में सामाजिक न्याय पंच्च व्यवस्था

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के द्वी–सदस्यीय पीठ द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में दिनांक 08.04.2021 के फैसले के कंडिका 29 में कहा गया है कि - "We, accordingly, set aside the judgement dated 16.03.2018, passed in Original Suit No. 583 of 2017 by the Principal Judge, Family Court, Ranch, and remand the matter to Family Court to frame an appropriate issue in regard to existence of provision of customary divorce in the community of the parties to these proceeding to get marriage dissolved. We permit the parties to amend the pleading, if so desire and also to lead evidence to prove the existence of a provision of customary divorce in their community. The Family Court will consider the matter afresh without being influenced by the observations made by this court hereinabove expeditiously. इसी तरह बिलासपुर, छतीसगढ़, के नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2023 को खबर छपी – हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक का क्या नियम है ? तथा माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशिनर को नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी।)''

'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची एवं माननीय हाईकोट छतीसगढ़ के आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए **परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल** द्वारा दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से विमर्श कर, सर्वसहमति से त्रिस्तरीय परम्परागत सामाजिक न्याय पंच्च व्यवस्था को मंजूरी दी, जिसमें **पद्दा पंच्चा** (ग्रामसभा), **पड़हा पंच्चा** एवं **बेलपंच्चा** (JURY Unit of Bisusendra) मुख्य धरोहर के रूप में समीक्षोपरांत प्रस्ताव पारित एवं अनुमोदित किया गया, जो इस प्रकार है –

फैमिली कोर्ट को कस्टमरी लॉ के तहत तलाक देने की है शक्ति : हाइकोर्ट

वरीय संवाददाता, रांची

- उरांव जनजाति के प्रार्थी की तलाक की याचिका का मामला, फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
- **हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को किया खारिज, सुनवाई के लिए मामले को वापस भेज दिया**
- कहा : फैमिली कोर्ट एक्ट एक सेक्यूलर लॉ है, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला कर सकता है

झारखंड हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने उरांव जनजाति के प्रार्थी के तलाक से संबंधित मामले को रांची के फैमिली कोर्ट को सुनवाई के लिए वापस भेज दिया. साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एक सेक्यूलर कानून है.

खंडपीठ ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट-1984 सभी धर्मों के लिए लागू एक धर्मनिरपेक्ष कानून है. फैमिली कोर्ट में कस्टम को प्रूफ करने की जरूरत होगी. कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर निर्णय लेने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास है. मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन व कुमार वैभव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि उरांव जनजाति के युवक का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था. विवाहेतर संबंध के कारण वह पत्नी से तलाक चाहता था.

यह है मामला : उरांव जनजाति के युवक ने रांची फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी. फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मैंटेनेबल नहीं है. यह कोर्ट कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला नहीं सुना सकता है. कस्टमरी लॉ लिपिबद्ध नहीं है. यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

उरांव जनजाति समाज में छुटा-छुटी का है प्रावधान : एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि उरांव जनजाति समाज में बैठक कर निर्णय लेकर पति-पत्नी के अलग होने (छुटा-छुटी) का प्रावधान है. तलाक के लिए इच्छुक युवक ने समाज में बैठक के लिए मामले को आगे किया, लेकिन लड़की (पत्नी) के शामिल नहीं होने के कारण समाज की बैठक नहीं हो पायी. इसके बाद युवक ने अपने कस्टमरी लॉ का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट में धारा-सात के तहत तलाक के लिए मामला दायर कर दिया.

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bilaspur City · 26 Dec 2023 · 26 Nya 1a
epaper.navabharat.news

रन लगा। इसका विरोध करन पर सपाहा सपाहा का सस्पड कर दया ह।

हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक के क्या नियम हैं

याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की छूट

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि,केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आदिवासी समाज में तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की भी छूट दी है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डीबी में इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कोरबा जिले का है, जहां आदिवासी समाज से आने वाले पति-पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी थी और तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। पत्नी ने इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा याचिकाकर्ता के एडवोकेट से पूछा कि क्या आदिवासी समाज में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उन्होंने एडवोकेट को एक्ट की धारा पढ़ने के लिए कहा और साफ किया कि, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस प्रकरण में तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पति की ओर से तलाक की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की बात कही गई।

डीबी ने स्पष्ट किया कि, अपील पर आपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश याचिका दायर करने की भी छूट दी है।

इस त्रिस्तरीय परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा न्याय पंच पद्धति में पहला स्तर – पद्दा पंच्चा (गांव की सभा), दूसरा स्तर – पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा) एवं तीसरा स्तर – बेःल पंच्चा (पड़हा बेःल समूह की सभा) है। उराँव (कुँड़ुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक किया जाता हैं। **परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल** द्वारा अह आदेशित किया गया परम्परागत उरांव समाज के किसी परिवार अथवा सदस्य के सामने कोई विवाद का सामाजिक न्याय की मांग आये तो सबसे पहले **पद्दा पंच्चा (गांव की सभा)** के सामने, लिखित शिकायत करें। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज हो और शिकायत का निपटारा करें। इसकी यदि समीक्षा करनी हो तो, अपील I – **पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा)** द्वारा एवं अपील II – **बेल पंच्चा (पड़हा बेल समूह की सभा)** में कम से कम 03 या 05 या 07 या 09 पड़हा बेल शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा की औपचारिक अध्यक्षता, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तावित मदईत पड़हा बेल में से एक के द्वारा होगा। बैठक में अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रकिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा/पड़हा/बेल पंच्चा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर या ठेपा निशान लगाएँ।

1. पद्दा पंच्चा (गांव की सभा) :– पारम्परिक पद्दा पंच्चा (ग्राम सभा) के संचालन के लिए न्याय पंच निम्न होते हैं –.(1) पहान (भुँईहरी पहनई)। (2) माहतो (भुँईहरी महतोई)। (3) पुजार (भुँईहरी पुजरई) (4) करटहा (5) भँड़ारी परिवार से एक (6) जोंख़ कोटवार (7) पेल्लो (किशोरी) कोटवार (8) मुखी जोंख़ (पुरूष प्रतिनिधि) (9) मुखी पेल्लो (महिला प्रतिनिधि) (10) जेठ रैयत परिवार से एक मनोनित सदस्य। (11) गौंरो परिवार से एक मनोनित सदस्य (12) चार आमंत्रित सदस्य जिसमे 02 महिला होंगी। आमंत्रित सदस्यों की भगीदारी हेतु पारम्परिक ग्रामसभा सदस्यों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। सर्वप्रथम किसी गांव में यदि कोई विवाद सामने आये तो वह मामला परम्परागत रूप से चयनित ग्रामसभा अध्यक्ष के सामने विवादित विषय को न्याय शिकायत कर्ता द्वारा लिखित शिकायत करना होगा। आवेदन के साथ परम्परा से चला आ रहा चटाई बिछाने का पचईती खर्च, रू0 151/(एक सौ एकावन) जमा करें। इस लिखित आवेदन के आधार पर परम्परागत विधि से चयनित पहान या माहतो ग्राम सभा की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगा। ग्रामसभा की अध्यक्ष की मदद के लिए परम्परागत गांव के सदस्य के अतिरिक्त वर्तमान समय के अनुरूप मनोनित सदस्य में से प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा ग्रामसभा की अध्यक्ष के तरफ से शिक्षित एवं आदिवासी न्याय–कानून आदि के बारे में जानकारी रखते हों सकते हैं। परम्परागत ग्रामसभा अध्यक्ष दोनों पक्षों को लिखित नोटिस तामिला करावें। साथ ही सभी गांव के सदस्यों को बैठक की सूचना भेजें। इस तरह निर्धारित तिथि को बैठक कराकर ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज करें। अंत में उपस्थित सदस्य अपनी उपस्थिति का हस्ताक्षर या ठेपा निशानी देकर करें। ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति, दोनों पक्षों को दें।

2. पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा) – परम्परागत पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा) बैठक में ग्रामसभा के निर्णय की समीक्षा अथवा पुनर्विचार करेगी। यह बैठक परम्परागत पड़हा गांव के पड़हा बेल के बुलावे पर पड़हा गांव के सदस्य पड़हा बैठक में शामिल होंगे। इसके लिए यदि ग्राम सभा के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष अपना लिखित आवेदन के साथ ग्रामसभा के निर्णय की प्रति, पड़हा बेल को सौंपे। आवेदन के साथ परम्परा से चला आ रहा चटाई बिछाने का पचईती खर्च रू0 251/(दो सौ एकावन) जमा करें। इस लिखित आवेदन के आधार पर पड़हा बेल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगा। पड़हा बेल की मदद के लिए परम्परागत पड़हा गांव के सदस्य के अतिरिक्त 04 मनोनित सदस्य में से 02 महिला सदस्य हों, जो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा पड़हा बेल के तरफ से होगें, जो शिक्षित एवं आदिवासी न्याय–कानून आदि के बारे में जानकारी रखते हों या डालसा के न्याय मित्र हों। पड़हा बेल दोनों पक्षों को लिखित नोटिस तामिला करावें। साथ ही सभी पड़हा गांव के सदस्यों को बैठक की सूचना भेजें। इस तरह निर्धारित तिथि को बैठक कराकर पड़हा रजिस्टर में दर्ज करें। बैठक में ग्रामसभा के निर्णय की समीक्षा करें तथा व्यवहारिक न्याय में यदि कमी हुई हो तो उसको सामने लायें और पड़हा का निर्णय रजिस्टर में दर्ज करें। अंत में उपस्थित सदस्य अपनी उपस्थिति अपना हस्ताक्षर करें या ठेपा निशानी लगाएं। पड़हा रजिस्टर में दर्ज अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति, दोनों पक्षों को दें।

3. बेःल पंच्चा (पड़हा बेल समूह की सभा) – बेःलर पचा ओक्कर दरा बेःल पंच्चा ननर। परम्परागत बेःल पंच्चा की बैठक में कम से कम 03 पड़हा या 05 पड़हा या 07 पड़हा या 09 पड़हा इकाई के बेल अपने पंचगण के साथ पड़हा पंच्चा के निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार करेंगे। इसके लिए किसी मामले का निर्णय से असहमत पक्ष द्वारा लिखित आवेदन के साथ 03 पड़हा या 05 पड़हा या 07 पड़हा या 09 पड़हा के पड़हा बेल में से किसी एक पड़हा बेल को सौंपेंगे। बेःल पंच्चा की अध्यक्षता के लिए अपीलकर्ता पक्ष द्वारा लिखित आवेदन देकर बेःल पंच्चा के लिए मदईत पड़हा बेल में से चयनित जाएगा। आवेदन के साथ परम्परा से चला आ रहा चटाई बिछाने का पचईती खर्च रू0 351/ (तीन सौ एकावन) जमा करें। अपीलकर्ता के लिखित आवेदन के आधार पर बेःल पंच्चा की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगा। बेःल पंच्चा की मदद के लिए परम्परागत मदईत पड़हा बेल एवं सहयोगी सदस्य के अतिरिक्त 04 मनोनित सदस्य होंगे जिनमें 02 महीला होंगी, जो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा बेल पंच्चा के तरफ से नामित किये जा सकेंगे, जो शिक्षित एवं आदिवासी न्याय–कानून आदि के बारे में जानकारी रखते हों या डालसा के न्याय मित्र हों। बेल पंच्चा के बेल दोनों पक्षों को लिखित नोटिस तामिला करावें। साथ ही सभी पड़हा बेल को बैठक की सूचना भेजें और एक निर्धारित तिथि को बैठक कराकर, बेल पंच्चा रजिस्टर में दर्ज करें। बैठक में ग्रामसभा एवं पड़हा पंच्चा के निर्णय की समीक्षा करें तथा व्यवहारिक न्याय में यदि कमी हुई हो तो उसको सामने लावें और बेःल पंच्चा का निर्णय को रजिस्टर में दर्ज करें। अंत में उपस्थित सदस्य अपना हस्ताक्षर या ठेपा निशानी रजिस्टर में दर्ज करें। बेलपंच्चा की अध्यक्षता, अपीलकर्ता पक्ष (असहमत पक्ष) द्वारा चयनित पड़हा बेल की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। (बेल पंच्चा में शिकायत कर्ता के पड़हा बेल के निर्णय को चुनौती देना है, इसलिए संबंधित पड़हा बेल को बेल पंच्चा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। बेःल पंच्चा के लिए मदईत पड़हा के पड़हा बेल के सहयोगी प्रतिनिधि ही बैठक में शामिल होंगे। उपस्थित पड़हा बेल में से अधिकतम पड़हा बेल के निर्णय को बेलपंच्चा का निर्णय समझा जाए। यह ''ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्चा'' के निर्णय की चुनौती, संबंधित जिला न्यायालय में हो। ध्यातव्य हो कि ''बिसुसेन्दरा'' परम्परागत उराँव समाज का सर्वोच्च परिषद है (BISUSENDRA is a Supreme Council of Traditional Oraon Society).

अपील का समय :– परम्परागत पद्दा पंच्चा (गांव की सभा) के निर्णय की चुनौति के लिए पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा) में ले जाने के लिए अधिकतम समय सीमा 90 दिन का होगा। इसी तरह परम्परागत पड़हा पंच्चा की बैठक के निर्णय की चुनौति के लिए बेलपंच्चा में ले जाने के लिए अधिकतम समय सीमा 90 दिन का होगा। बेलपंच्चा के आदेश को चुनौती के लिए परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के सदस्य, जिला न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बिसुसेन्दरा में अपील के लिए बेलपंच्चा के आदेश की तिथि से 09 महीना तक होगा।

अपील – यहाँ पचा का अर्थ समूह है और पंच्चा का अर्थ समूह में न्याय करना है। पंच्चा का ().अर्थ हिन्दी में प्रयुक्त शब्द पंचनामा की तरह कहा जा सकता है परन्तु हिन्दी में पंचनामा का अर्थ पंच लोगों द्वारा साक्ष्य संग्रह करना होता है। जबकि पंच्चा शब्द का अर्थ – समूह द्वारा साक्ष्य संग्रह कर एवं न्याय–दण्ड देना है। बेल पंच्चा के JURY member अर्थात मदईत पड़हा बेल, बिसुसेन्दरा द्वारा अनुमोदित एवं अधिकृत सदस्य होंगे। बिसुसेन्दरा को प्रथागत उरांव आदिवासी समाज में, सामाजिक न्याय का अंतिम सीढ़ी माना गया है, इसलिए वहाँ के फैसले को किसी दूसरे स्थान पर सामाजिक चुनौती देना मान्य नहीं है। जिस तरह कि न्यायालय व्यवस्था में Mediation commitee के निर्णय को चुनौती देने का प्रावधान नहीं है। परम्परागत उरांव समाज अपने सामाजिक व्यवस्था में श्रद्धा रखते हुए बिसुसेन्दरा के निर्णय को स्वीकार करता है। बिसुसेन्दरा का राज्य स्तरीय सभा 3 वर्ष में हो और राःजी बिसुसेन्दरा 12 वर्ष में प्रथागत रूप से आयोजित हो। इस तरह यह पारम्परिक ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्चा, उरांव आदिवासी पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत सरल एवं त्वरित न्याय प्रणाली है, जो सभी तरह के गरीब–अमीर, छोटे–बड़े, महिला–पुरूष, ग्रामीण–शहरी आदि व्यक्तियों के लिए सहज प्रक्रिया साबित होगी। परम्परागत उराँव समाज के लोग इस प्रस्तावित विषय पर एवं इन विन्दुओं पर चर्चा करें, सहमति बनाएँ और समाज को रास्ता दिखाएँ।

निवेदक :	**विधि सलाहकार :**	**निवेदक :**
डॉ नारायण उराँव ''सैन्दा''	प्रो० रामचन्द्र उराँव	श्री राणा प्रताप उराँव
संयोजक, अद्दी अखड़ा,	पड़हा समन्वय समिति,	अध्यक्ष, पड़हा समन्वय समिति,
झारखण्ड, रांची।	झारखण्ड, रांची।	झारखण्ड, रांची।

2. PESA ACT 1996

THE PRPOVISION OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996, No. 40 OF 1996
(24th Decwmber, 1996)

4. (d) every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution.

(n) the State Legislation that may endow Panchayats with powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government shall contain safeguards to ensure that Panchayats at the higher level do not assume the powers and authority of any Panchayats at the lower level or the Gram Sabha.

(o) the State Legislature shall endeavour to follow the pattern of the Sixth Schedule to the constitution while designing the administrative arrangements in the Panchayats at district levels in the Scheduled Area.

....

.....

.....

.....

K. L. MOHANPURIYA
Secretary, to Govt. of India

3. झारखण्ड सरकार
पंचायती राज, एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल विभाग)
(पंचायती राज निदेशालय)

अधिसूचना

जी० एस० आर० – 269 / रांची, दिनांक – 21 / 2 / 05

झारखण्ड ग्राम सभा नियमावली, 2003

कंडिका 4. एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया –

(i) निम्नलिखित क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा –

(ख) छोटे गांव या गावों / टोलों का समूह जिसमें समाविष्ट समुदाय परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।

कंडिका 5. ग्राम सभा की बैठक –

(ग) ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाएगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप–मुखिया बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उपमुखिया या उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य नहीं हों और उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पहान, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।

.....

.....

ह० / अ०
सरकार के सचिव
पंचायती राज, एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल) विभाग
झारखण्ड, राँची।

4. परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2023 एवं उच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के तहत दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 दिन शनिवार एवं रविवार को 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गाव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी–परम्परा के अनुसार ''परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो'' का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज द्वारा आयोजित यह परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसु सेन्दरा का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन, ग्राम : बटकुरी, थाना : भरनो, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का संयोजन परम्परागत गांव सभा के पंच्चों में से पड़हा बिसुसेन्दरा बेल – श्री दशरथ भगत, कुहाबेल – श्री जुब्बी उरांव, देवान – श्री मटकु उरांव, कोटवार – श्री गजेन्द्र उरांव, भंड़ारी – श्री उमेश उरांव के द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी सह पारम्परिक ग्रामीण पुजारी पहान, महतो, पुजार इत्यादि उपस्थित थे। बिसुसेन्दरा के पहले दिन अर्थात दिनांक 20 मई 2023 की बैठक में पड़हा गांव के सिर्फ पुरूष लोग गांव–समाज में रूढ़ी व्यवस्था के अन्तर्गत देश के संविधान एवं कानून व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य किये जाने के संबंध में कई पारम्परिक नियमावली को लिखकर संकलन करने पर चर्चा किये। उसके बाद अंतिम दिन अर्थात दिनांक 21 मई 2023 की बैठक में पड़हा गांव की बैठक में महिलाएँ के साथ शामिल हुईं। महिलाओं द्वारा पूर्व की भांति, लोटा में पानी और आम का डहुरा लेकर पुरूषों का स्वागत की। महिलाओं को यह उम्मीद रहती है कि पुरूष गण अपने परिवार तथा समाज के लिए अच्छा निर्णय करके आये होंगे और गांव समाज को आगे ले जाएंगे। इस वर्ष, बदलते सामाजिक परिस्थिति के अनुसार महिलाएँ, 9 फुदना वाला 9 पड़हा के लिए, 7 फुदना वाला 7 पड़हा के के लिए तथा 6 फुदना वाला 6 पड़हा गांव के महतो–पहान के लिए अईरपन–सिन्दुर लगाकर **''पड़हा खेवा डांग''** सौंपा गया और वे पुरूषों से आह्वान कीं – कि वे स्वयं समाज–परिवार के लिए जागें और बच्चों में शिक्षा का अलख जगाएँ, नशापान रोकें, अनुशासन एवं देशप्रेम जगाएँ। इसवर्ष महिलाओं द्वारा फिर से आह्वान किया गया कि गांव के पहान–महतो बिसुसेन्दरा के अवसर पर सामाजिक जिम्मेदारी का संकेतक ''पड़हा खेवा डांग'' को बिसुसेन्दरा में गांव का पड़हा झण्डा के साथ चढ़ावें। इस तरह पुरूष–महिला, साथ मिलकर माननीय हाईकोट के निर्देश पर – अपनी माटी, अपना राग के डगर पर साथ चलने के लिए सहमत हुए।

परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2023 की ओर से निम्नांकित निर्णय लिया गया –

1. माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है कि आदिवासी मामले का निपटारा – आदिवासी कस्टमरी कानून के आधार पर हो। इसलिए बिसुसेन्दरा सभी पड़हा बेल को आदेश देती है कि उरांव समाज का कोई भी मामला तीन स्तरीय सामाजिक न्याय पंच व्यवस्था को स्वीकार करे। इनमें से – (1) पद्दा पंच्चा अर्थात गांव की सभा (2) पड़हा पंच्चा अर्थात पड़हा गांव की सभा (3) बेःल पंच्चा अर्थात पड़हा बेल लोगों की सभा अर्थात त्रिस्तरीय रूढ़ीगत समाजिक न्याय व्यवस्था को लागू करे।

2. पद्दा पंच्चा अथवा ग्रामसभा की अध्यक्षता रूढ़ीगत रूप से गांव के पहान द्वारा किया जाए तथा पहान की अनुपस्थिति में महतो (परम्परागत महतो परिवार) द्वारा किया जाए। गांव के कोई मामला ग्रामसभा अध्यक्ष के नाम से लिखित शिकायत करें और ग्रामसभा अध्यक्ष उस शिकायत के आधार पर दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलावे और गांव के पंच्च मिलकर न्याय करें। सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज करें और पंच्च गण हस्ताक्षर करें। इसी तरह पड़हा पंच्चा बैठक की अध्यक्षता परम्परागत पड़हा गांव में से बेल पद्दा के पड़हा बेल द्वारा किया जाए। पड़हा बेल के मदद के लिए सभी गांव वाले रहें। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथा पड़हा बेल एवं पंच्च गण हस्ताक्षर करें या अंगुठा लगाएं। तीसरी व्यवस्था अर्थात बेल पंच्चा व्यवस्था की अध्यक्षता अपने क्षेत्र के 3 या 5 या 7 या 9 अलग–अलग पड़हा के पड़हा बेल समूह द्वारा किया जाए, जिसकी अध्यक्षता उन 3 या 5 या 7 या 9 में से किसी एक मदईत पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा, जिसका चयन शिकायत कर्ता द्वारा किया जाए। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथा सभी पड़हा बेल एवं पंच्च हस्ताक्षर करें या अंगुठा लगाएं।

3. ''परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो''बिसुसेन्दरा की ओर से प्रत्येक पड़हा बेल को बेल पंच्चा के लिए बेलपंच्चा सदस्य (JURY MEMBER) घोषित करती हैं। पड़हा एवं बेल पंच्चा हेतु प्रत्येक 03 वर्ष में अपने क्षेत्र में रूढ़ीगत पड़हा ग्रामसभा न्याय पंच का गठन करें और इसकी सूचना महामहीम राज्यपाल एवं अपने क्षेत्र के उपायुक्त महोदय को दें।

पड़हा बेल / पड़हा कुहा बेल / पड़हा देवान / पड़हा भंड़ारी / पड़हा कोटवार
परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो (झारखण्ड)

5. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2024, गुमला मण्डल का सामाजिक नियमावली

कार्यालय – पड़हा पिण्डा, ग्राम : छोटका सैन्दा, पो० : करकरी,
थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड)

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के तहत दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गाव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी–परम्परा के अनुसार ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो'' का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज द्वारा आयोजित यह परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसु सेन्दरा का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का संयोजन परम्परागत गांव सभा के पंच्चों में से पड़हा बिसुसेन्दरा बेल – श्री दशरथ भगत, कुहाबेल – श्री जुब्बी उरांव, देवान – श्री मटकु उरांव, कोटवार – श्री गजेन्द्र उरांव, भंड़ारी – श्री उमेश उरांव के द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं पारम्परिक ग्रामीण पुजारी पहान, महतो, पुजार इत्यादि उपस्थित थे। इस ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्चा'' में उराँव समाज की रूढ़ीगत व्यवस्था के अन्तर्गत पारित नियमावली को विधि के जानकारों से विमर्श कर, सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज में यह निर्णय जनसूचना एवं अनुपालन हेतु जारी किया जाए, जो निम्नलिखित है –

1. परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज अपने घर–परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक उराँव (कुँड़ुख़) नेगदस्तुर करें तथा परब परम्परागत तरीके से मनाएँ। उरांव (कुँड़ुख़) समाज के सभी सदस्य, अपने पड़हा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामसभा, पड़हा एवं धुमकुड़िया को परम्परागत तरीके से संगठित करें तथा रूढ़ी परम्परा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त पूजा स्थल जैसे – चाःला, अखड़ा, देबीगुड़ी (मड़ई), दरहा, देशबली, चँड़ी, सियाँ–भुइयाँ को सुरक्षित एवं संरक्षित करें।

2. परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज में सामाजिक शादी के अन्तर्गत सिर्फ स्वजातीय शादी की मान्यता है किन्तु स्वजाति में एक गोत्र में शादी वर्जित करता है। स्वजाति में एक गोतर/गोत्र के लोगों में खून का रिस्ता माना गया है। इसलिए सामाजिक परम्परा के विरूद्ध की गयी शादी को परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज निंदा करता है और गैर परम्परागत तरीके से की गई शादी के लिए खाशकर लड़का पक्ष को सामाजिक जुर्माना भरना होगा तथा सामूहिक गांव पूजा एवं पतरी भात का आयोजन करना होगा।

3. उराँव (कुँड़ुख़) समाज पुरूष वंश परम्परा पर आधारित है। इसलिए वर्जना के बाद भी यदि कोई उराँव युवक ढुकू लाता हो या युवति ढुकू जाती हो, तो उसे समाज मान्यता नहीं देता है। इसलिए परम्परानुसार वह सामूहिक गांव पूजा एवं पतरी भात और ढुकू–ढरा बेंज्जा नेगदस्तुर का आयोजन करना होगा।

4. उराँव (कुँड़ुख़) समाज में वर्जना के बाद भी यदि कोई लड़का या लड़की अन्तर्जातीय विवाह करते है तो वे अपने समाज में सामाजिक मान्यता एवं मर्यादा का उलंघन करते हैं, तो वे पति–पत्नी सामुहिक सामाजिक कार्यव्यवस्था तथा जिम्मेदारी से अलग रहें और अपना विवाह रस्म special marriage act के अनुसार करावें।

नोट – रूढ़ी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक मान्यता एवं मर्यादा का उलंघन करने वाले, रूढ़ीप्रथा, सामाजिक सम्पति, नियम कायदा से मुक्त (बाहर) हो जाते हैं। इसी तरह अन्तर्जातीय विवाह करने वालों की सामुहिक सामाजिक कार्यव्यवस्था तथा जिम्मेदारी समाज पर नहीं होगी। भारत सरकार द्वारा आदिवासी अथवा अनुसूचित जनजाति होने के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा विशिष्ट संस्कृति का होना मानदंड माना गया है। इस स्थिति में वशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु रूढ़ीगत उराँव समाज अन्तर्जातीय विवाह के बाद उत्पन्न स्थिति के चलते दूसरे वशं को अपने कबिला में मिलने नहीं देने के नियत से जातीय गण व्यवस्था, सामाजिक सम्पत्ति तथा नियम कायदा से मुक्त किया जाएगा।

5. विश्व में 50 से अधिक देशों में प्राचीन आदिवासी आस्था–विश्वास को कबिलाई धर्म के नाम से मान्यता दी गई है किन्तु अपने ही देश में हमें, धार्मिक पहचान नहीं मिली है, यह हम आदिवासियों के लिये विडम्बना की बात है। परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज के लोग अपने पारम्परिक विश्वास–धर्म को आदि धरम या सरना धरम के नाम से जानते एवं मानते हैं। केन्द्र सरकार इसे कानूनी मान्यता दे।

नोट – मानव समाज में प्रत्येक बच्चे को एक नाम मिलता है। पर अपने देश भारत में आदिवासी आस्था–विश्वास को अबतक कोई नाम नहीं दिया गया है। क्या, यह केन्द्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है ?

6. परम्परागत आदिवासी उराँव समाज में जमीन को परिवार के भरण–पोषण का आधार माना गया है तथा आदिवासी होने एवं कहलाने के लिए जमीन तथा भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area) का होना आवश्यक है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जमीन तथा भौगोलिक क्षेत्र को बरकरार रखने के उदेश्य से वंशानुगत सम्पति (जमीन) को एक वंश से अन्य वंश में हस्तान्तरण नहीं किया जाता है। परम्परा के अनुसार समाज में हरेक लड़की को शादी से पहले अपने पिता के वंशानुगत सम्पति पर तथा शादी के बाद अपने पति के वंशानुगत सम्पति में स्वाभाविक रूप से उपभोग के लिए भागीदार माना गया है। पुस्तैनी जमीन को बेचना, महिला एवं पुरूष दोनों के लिए वर्जित है। सामाजिक दस्तुर है कि एक महिला, शादी के बाद अपने ससुराल में अपनी मर्जी से जीवन भर रह सकती है। इसलिए उराँव बिसुसेन्दरा, लड़की या महिला के लिए यह सामाजिक जिम्मेदारी हक–दस्तुर के साथ, वंशानुगत पारिवारिक अचल संपत्ति का हस्तान्तरण रोकने तथा खेत, खेती और खेतिहर के अन्योन्याश्रय संबंध को बरकरार रखने हेतु महिला एवं पुरूष दोनों को पुस्तैनी जमीन को बेचना वर्जित करता है।

7. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज में शादी के समय बेंज्जा किचरी के रूप में लड़की के लिए तीन टिप्पा हल्दी लगा हुआ पड़िया साड़ी तथा लड़का के लिए तीन टिप्पा हल्दी लगा हुआ धोती अनिवार्य होगा।

8. परम्परागत कुँड़ुख़ समुदाय के शादी नेग में कुल लेन–देन रू० 1101/(ग्यारह सौ रू०) के अन्दर होगा तथा परम्परागत शादी के अवसर पर सिर्फ नेग हँड़िया का व्यवहार होगा। डली ढिबा रस्म आदायगी अलग होगा। इसके लिए पंच्चानेग ढिबा अरा पंचसबुति ढिबा या पंचर गही डँड़ियाचका ढिबा या डली ढिबा रू०11/(ग्यारह रू०) देय होगा।

9. परम्परागत उराँव समुदाय के शादी–व्याह के अवसर पर परपरागत बाजा का रिवाज है। डिस्को बाजा या बैंड बाजा को पड़हा बिसुसेन्दरा वर्जित करता है और समाज में युवक युवतियों को नाच–गान सीखने–सिखाने के लिए अखड़ा–धुमकुड़िया को जगाया जाए। जानबूझकर उलंघन करने पर 5000/(पाँच हजार) रूपया जुर्माना देना होगा।

10. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के सभी भाई–बहन अपने उपनाम में जातीय नाम उराँव जोड़ें। गोत्र (इसका प्रयोग मंत्र एवं अनुष्ठान में विशिष्ट है) एवं गोत्र चिन्ह की पवित्रता बनाये रखें तथा समाज–परिवार के धार्मिक अनुष्ठान, श्रद्धा पूर्वक करें।

11. परम्परागत कुँड़ुख़ (उराँव) समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में पुरूष के लिए दूसरी बार किसी कुँवारी लड़की या रँढ़िया (विधवा) औरत के साथ सगई–संगहा किया जाता है, जैसे –

(1) पहली पत्नी की मृत्यु होने पर।
(2) पहली पत्नी के पागल होने पर।
(3) पहली पत्नी के अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले जाने पर।
(4) पहली पत्नी का दूसरे पुरूष के साथ अवैध संबंध साबित होने पर।

(5) पहली पत्नी से वंश न चल पाने पर (अर्थात बांझपन की स्थिति में), पति–पत्नी के रजामंदी से या पहली पत्नी के कहने पर, परिवार की खुशी के लिए समाज में, सगई–संगहा की प्रथा है।

रूढ़ीगत उराँव आदिवासी समाज में खेत, खेती और खेतीहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परम्परागत उराँव समाज का एक व्यक्ति अपने तथा परिवार के लिए जंगल साफ कर नया खेत बनाता है या फिर अपने खेत में नया पेड़ लगाता है, यह सोचकर कि उनके बाल–बच्चे अथवा आने वाली पीढ़ी के लिए समय पर काम आवे। ऐसी स्थिति में कई बार पहली पत्नी का किसी विमारी या कोई अन्य कारण से बच्चा नहीं हो पाने से पहली पत्नी अपने घर–परिवार की खुशी के लिए अपने पति से कहती है – एःन निंग्गा गे अउर ओण्टा कनियाँ बेद्दा चिआ लगेन, मुन्दा एंग्गन अमके अम्मबा, नाम ओण्टे एड़ेप'ता (परिवार) नु संग्गे–संग्गे रओत। पहली शादी से उत्पन्न पुत्र या पुत्री के परवरिश (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होती है। कभी–कभी किसी लड़के द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी औरत लाने पर तथा उस औरत के बच्चे को अपनाने की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होगी।

बांझपन का मापदण्ड या परिभाषा, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मान्य होगा। परम्परागत शादी में लड़का–लड़की को पगसी (जुआठ) में बैठाया जाता है और पट्टा में चढ़ाकर सिंदरी टिप्पा करवाया जाता है, सगई–संगहा बेंज्जा नेग में पट्टा में चढ़ाना और पगसी में बैठाने का नेग नहीं होता है, सिर्फ पिटरी सिंदरी तथा सबहा (सभा) सिंदरी होता है। इसलिए सामाजिक मान्यतानुसार की गई शादी से उत्पन्न बच्चे के लिए समाज, उसके पिता की सम्पति का हिस्सेदार बनाती हैं। सामाजिक शादी के बाद खाशकर पासर्पोट के लिए मैरेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। वैसी स्थिति में Jharkhand Compulsary Marriage Registration Act 2017 के तहत रजिस्टर्ड करवाया जा सकेगा।)

12. परम्परागत कुँड़ुख़ (उराँव) समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में एक महिला की दूसरी बार किसी कुँवारे या रँढुवा (विधुर) व्यक्ति के साथ सगई–संगहा किया जाता है। जैसे –

(क) पहले पति के मृत्यु होने पर।
(ख) पहले पति के पागल होने पर।
(ग) पहले पति के नामर्द रहने पर।
(घ) पति द्वारा पहली पत्नी के रजामंदी में बिना दूसरी औरत लाने पर – शादीशुदा महिला, अपने व्यक्तिगत हित में पहले पति को छोड़कर चली जाया करती है या कहीं–कहीं अपने परिवार की खुशी बनाये रखने में मदद करने में बढ़चढ़ कर हिस्सेदार बनती है। (एक महिला को पूरी आजादी है कि वह पति के घर रहे या पति को छोड़कर जाय।)

13. पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद (बिउड़ही) के लिए परम्परागत तरीके से बिहउड़ी लेन–देन किया जाना आवश्यक है। पुत्र/पुत्री के परवरिश (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होती है। यदि बच्चा 5 साल से कम हो तो वह माँ के साथ रह सकेगा या बिहउड़ी के समय बच्चे के हित में समाज को जैसा अच्छा लगे के अनुसार होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़का द्वारा किया गया हो तो माँ–बच्चे के परवरिश के लिए बच्चे के पिता को खोरपोस (जीवन यापन का संसाधन) व्यवस्था करना होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़की द्वारा किया गया हो तो खोरपोस व्यवस्था के लिए लड़का बाध्य नहीं होगा। ग्राम सभा में बिउड़ही के लिए अरजी, पति–पत्नी के बीच संबंध नहीं होने का समय सीमा कम से कम 2 वर्ष बीतने के बाद ही मान्य होगा।

नोट :– आजकल लोग पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद (बिउड़ही) के लिए आदिवासी परिवार के सदस्य भी कोर्ट से मदद लेने जाते हैं, पर कोर्ट या फॉमिली कोर्ट, आदिवासी मामलों में खाशकर तलाक मुद्दे पर आदिवासियों का सामाजिक मामला कहकर दखल नहीं देती है। इसलिए आदिवासियों के लिए सामाजिक नियमों को पालन करना

आवश्यक होगा। परम्परागत उरांव समाज में बिहउड़ी के समय दोसी पक्ष के घर से से पंच द्वारा हार भाईर अड्डो (एक जोड़ा बैल) या मनख़ा (काड़ा) ले जाया जाता था। परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा में इसे वर्तमान समय में अनुसार रखने का निर्णय किया गया। बिहउड़ी एक प्रक्रिया है, जिसमें डली ढिबा (विवाह सगुन का सांकेतिक धनराशि) पंच्चो को लौटाना आवश्यक होता है। यह डली ढिबा शादी के अवसर पर पंच्च लोगों द्वारा तय किया जाता है तथा कन्या की माँ या परिवार में माँ रिस्ते को सौंपा जाता है। डली ढिबा वापसी के बाद ही बिउड़ही मान्य होता है। उराँव समाज में बिहउड़ी में एक जोड़ा बैल या काड़ा ले जाया जाता था। इस संबंध में एक गीत इस प्रकार है

– बोंग्गर–बोंग्गर पेलो नहियर काःदी,
मया दुलड़ पेलो एंव उला रअ़ओ, रे।।
बोंग्गर–बोंग्गर पेलो नहियर काःदी,
मएयाँ खूःरी पेलो एंव उला रअ़ओय, रे।।
मला रओय पेलो, बिहउड़ी ननोर,
पंच्चा डली ढिबन किरितआ गे,
जोड़ा भईर अड्डो निंग्हयन होओर, रे।।

14. परम्परागत उराँव समाज में खेत, खेती और खेतिहर के रिस्ते को अन्योन्याश्रय संबंध माना गया है। यदि खेतिहर को बचाना है तो खेत और खेती को भी बचाना पड़ेगा। इसी सामाजिक एवं सह अस्तित्व विचार–धारा के चलते पुस्तैनी अचल संपत्ति को वशं एवं खेवटदारों के बीच ही उपभोग के लिए निर्धारित है।

15. बेंज्जा = बिंजिर'उर + बिंज्जुर। बेंज्जा गही माने ''बांजरनखरना गे इंजिरना'' मनी। बेंज्जा का अर्थ हिन्दी में विवाह या शादी है, अंगरेजी में marriage है। संस्कृत में विवाह का अर्थ विशिष्ट वहन कहा गया है। विवाह, पति–पत्नी के एक साथ रहने तथा उनसे उत्पन्न बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी प्रदान करता है। उराँव आदिवासी समाज में बेंज्जा को, प्रकृति में से एक लत्तर जिसे उराँव लोग बंदा कहते हैं या जिसे हिन्दी में अमरबेल कहा जाता है, उसके आचरण की तरह समझा जाता है। उराँव समाज में बेंज्जा, प्रकृति में बंदा गही बांःजना अरा बांजरनखरना (अमरबेल स्वंय से अलग तरह के पेड़ को अच्छादित कर सहजीवी होने जैसा) की तरह है। प्रकृति के इस उद्धरण की तरह विवाह के बाद एक दुलहन, अपने पति के साथ सहजीवी हो जाती है। बांःजना का अर्थ अंगरेजी में to cover, to arrange in a discipline way for safeguard and good objectives है। उराँव समाज में ''बंदा गही बांःजना अरा बांःजरनखरना'' जैसी प्राकृतिक दर्शन की तरह बेंज्जा की मान्यता है।

बेंज्जा = बिंजिर'उर + बिंज्जुर। रूढ़ीगत उराँव़ समाज की रूढ़ीवादी परम्परा, विश्वास–धर्म के अंतर्गत की गई शादी को वैध शादी का दर्जा समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा वैध शादी से उत्पन्न संतान को ही पारिवारिक उत्तराधिकार के लिए समाज जवाबदेह होता है।

रूढ़ीगत उराँव़ समाज में वैध शादी (Valid marriage) का तीन मापदण्ड है –

1. शादी करने वाले लड़का–लड़की की वैयक्तिक सहमति (Personal Consent).
2. पारिवारिक सहमति (Consent of Family)
3. सामाजिक सहमति (Consent of Society).

समाजिक सहमति के साथ घर–परिवार के पितर एवं गांव का देव–देवाँ (देवता–पितर) का पूजा–पाट जुड़ा हुआ रहता है, तभी सामाजिक रूप से शादी को पूर्ण माना जाता है। (उराँव परम्परा में बेंज्जा के नेगचार निम्न हैं जो वैध शादी की प्रक्रिया (Process of valid marriage) –

(क) पुना कुटुम बेद्दा–नखरना – बेंज्जा (विवाह) का नेगचार आरंभ करने से पहले सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लड़का पक्ष के लोग, विवाह योग्य लड़के के परिवार वाले की सहमति से, विवाह योग्य लड़की के परिवार वाले लोगों के साथ बातचीत किया जाता है और यदि सहमति बनती है तो किचरी बांजना होता है।

(ख) किचरी बांःजना अरा ख़ेड्ड अम्म झोकना – विवाह का रस्म लड़का पक्ष से आरंभ किया जाता है। जब वर पक्ष की ओर से कन्या के घर में कन्या को वस्त्र भेंट किया जाता है और कन्या एवं परिवार द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात, कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष के पाँच सदस्यों को लोटा में पानी/झरा में दुबला घांस (वर पक्ष के लोटा में पाँच दुबला घांस) और (कन्या पक्ष के लोटा में तीन दुबला घांस) के साथा दोनों पक्ष मुख्य सदस्य आपस में स्वीकार नामा जल आदान प्रदान करते हैं और धरती माता तथा पूर्वज के नाम से अर्पित करते हैं। उसके बाद कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के साथ मोंजरा/अभिवादन/गोड़लगी करते हैं। इस नेगचार के समापन के बाद दोनों पक्ष का पारिवारिक सहमति समझा जाता है जो विवाह का अगले कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए तैयारी किये जाने का संकेतक है। यह कन्या की सहमति तथा पारिवारिक सहमति (मन मंजुर) का द्योतक है। Conventional marriage rituals for consent. It shows BRIDE & FAMILY CONSENT.

(ग) बेंज्जा पाःही/कोहाँ पाःही (डली फड़ियारना/बरतई ननना)। कुकोय तरा, लड़की पक्ष तरफ। पारिवारिक एवं सामाजिक सहमति का द्योतक। कुड़ुख (उराँव) बेंज्जा नु कुकोय तरा बेंज्जा पाःही गे कुक्कोस तरतर कुकोयन पाःकनर की झोकनर। Essential's of marriage & consent in Family & Society. It shows FAMILY & SOCIAL CONSENT.

(घ) बेंज्जा पाःही/कोहाँ पाःही (पाःही ननना)। कुक्कोस तरा, लड़का पक्ष तरफ। पारिवारिक एवं सामाजिक सहमति का द्योतक। कुड़ुख़ बेंज्जा नु कुक्कोस तरा बेंज्जा पाःही गे कुक्को सिन कुकोय तरतर पाःकनर की झोकनर। Essential's of marriage & consent Family & Society. It shows FAMILY & SOCIAL CONSENT.

(ङ) मड़वा गड़ना अरा कँड़सा चोअ़ना। ESSENTIAL's OF MARRIAGE.

(च) सगुन ओन्दोरना अरा अउपटन ख़सरना (बाःलका, नगड़ा ख़ज्ज, आबदा तीख़िल, इसुंग, दुब्बा घाँःसी अदिल–बदिल)। Essential's of marriage.

(छ) बरात पईरघाअ़ना (बरात अँड़सना अरा मेरघेराई)। Conventional rituals of marriage. Rituals of confirmation by the society.

(ज) पगसी पिटरी ओकोरना, गुँड़ख़ी तिरख़िर्रना, पट्टा–सिंदरी टूड़तारना, सबहा सिन्दरी (सभा सिन्दरी) मनना। Essential's of marriage & confirmation of marriage.

(झ) सँड़खी उरूखना/ढेलका पुजा। Rituals of confirmation of marriage and pay homage to God, Ancestors & Deity (देवत्व)।

(ञ) पयसरी ननना/बयनला–बयनली बांज़ानखरना/डण्डा कट्टना। Rituals after marriage in bride family to pay homage to God, Ancestors & Deity (देवत्व)। इस अवसर में कई जगहों पर भाहो–भँयसुर एवं जेठसास– दामाद का रिस्ता तय होता है।

उराँव पारम्परिक विवाह में मुख्य 10 (दस) नेग–अनुष्ठान में से Essential's of rituals of marriage में उप क्रमांक (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) एवं (ज) आवश्यक है। कन्या की सहमति (Concent) की आवश्यकता के लिए क्रमांक

(ख) (ग) (च) तथा (ज) अनुष्ठान द्योतक है। बेंज्जा का सभी नेग अनुष्ठान गांव के पारम्परिक पहान द्वारा अथवा गांव के जानकार व्यक्ति (शादी–शुदा व्यक्ति या महिलाएँ, जिनके पति–पत्नी दोनों जीवित हों) के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। विधवा/विधुर द्वारा शादी अनुष्ठान नहीं कराया जाता है।

रूढ़ीगत उराँव़ समाज में वैध शादी (Valid marriage) के प्रकार –

(i) मड़वा–कँड़सा बेंज्जा – पारम्परिक विवाह। इसमें मड़वा गड़ाता है, कँड़सा उठता है, ढाँक बजता है, पगसी ओकोरना, पट्टा सिंदरी टूडूरना, गुँड़ख़ी तिरख़िर्रना तथा सबहा सिंदरी मनना होता है। यहाँ जुआठ में लड़की, बिना किसी पूर्वाग्रह के लड़का के बायें तरफ बैठती है, जो सहमति का प्रतीक है। ई बेंज्जा नु एँःड़ो तरा (जोंःख़स अरा पेल्लो) मड़वा गड़रतार'ई। इस प्रकार के विवाव में, दोनों पक्ष के घर, मड़वा–कँड़सा होंता है।

(ii) अतख़ा–पण्डी बेंज्जा – एका–एका बारी बेंज्जा एड़पा नु इन्दिर'इम अलहन मंज्जका ती मलता खुरजी मलका गुसन, कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा अँड़सतअ़ना मनी। अन्ने बेंज्जा नु कुक्कोस तरती बरात मल काःली। कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा ता मड़वा नुम मड़वा–कँड़सा नेग मनी। कभी–कभी लड़की रक्ष के घर कोंई घटना हुई हो या लड़की के घर वाले बहुत गरीब (लंगआ) हों बैसे स्थिति में लड़की को ससमन लड़का के घर पहुँचाया जाता है और लड़का के घर पर ही मड़वा–कँड़सा बेंज्जा नेग होता है।

(iii) सगई–संगहा बेंज्जा – यदि दोनो पक्ष (लड़का एवं लड़की) का पूर्व में विवाह हुआ हो, तो बाद का विवाह, सगई–संगहा बेंज्जा तरीके से होता है। ऐसे विवाह में मड़वा नहीं गड़ाता, कँड़सा नहीं उठता, ढाँक नहीं बजता, पगसी–पट्टा सिंदरी नहीं होता। जोंःख़स, कुकोयन पिटरी नू ओक्कर, सिंदरी टूड़दस, अन्तिले सबहा सिंदरी (सबुती चिअ़ना चिअ़ना सिंदरी) मनी। ई बेंज्जा नु एँःड़ो तरा मड़वा–कँड़सा मल गड़रतार'ई।

यदि लड़की का पहले बेंज्जा हुआ रहे तो दूसरी बार उसका सगई–संगहा बेंज्जा होता है। यदि लड़का का पहले शादी हुआ रहे, तो कुँवारी लड़की से शादी के लिए लड़का बिना बारात के, बिना ढोल बाजा के लड़की के घर पँहुचता है। लड़का के घर मड़वा नहीं गड़ाता है। परन्तु लड़की के घर मड़वा–कँड़सा होता है, ढोल बजता है, पर पहले लड़की का पूँप बेंज्जा नेग होता है, फिर संगहा बेंज्जा होता है। इसी तरह, यदि लड़की शादी–शुदा हो और लड़का कुँवारा हो, तो इस तरह की शादी में लड़का बारात लेकर जाता है, ढोल बजता है, परन्तु लड़की के घर मड़वा कँड़सा नहीं गड़ाता है। पर लड़का का पहले पूँप बेंज्जा होता है। उसके बाद लड़का–लड़की का सगई–संगहा बेंज्जा होता है।

(iv) ढुकू–ढरा (सोहांगी) बेंज्जा – ढुकू–ढरा बेंज्जा अर्थात पारिवार की या सामाजिक सहमति न मिलने पर तथा लड़का–लड़की दोनों पति–पत्नी की तरह साथ रहते हों या उनसे बाल–बच्चे हों, तो उराँव समाज बिना बेंज्जा के सामाजिक मान्यता नहीं देता है। परन्तु यदि लड़का–लड़की स्वजातीय हों तो उनके बच्चों को बेंज्जा का बेंज्जा करने से पहलेमाता–पिता का बेंज्जा होना आवश्यक माना गया है। इसलिए ढुकू–ढरा होने पर सामाजिक दण्ड एवं सोड़ा मण्डी के बाद मड़वा बेंज्जा एवं सबहा सिंदरी (सबुती चिअ़ना सिंदरी) किया जाता है। किन्तु यदि उराँव समाज में एक लड़का दूसरी जाति की लड़की को ढुकू लाए, तो समाज सोड़ा मण्डी एवं सबहा–सिन्दरी बेंज्जा किया जाता है, किन्तु परिवार के गृहदेव पुजा में उस बहु को शामिल नहीं करता एवं पारिवारिक मसना में शामिल नहीं किया जाता है।

(v) Special Marriage Act बेंज्जा – यह शादी व्यक्तिगत जिम्मेदारी या पारिवारिक जिम्मेदारी पर होती है। इसमें समाज जिम्मेदार नहीं होता है, इसलिए गैरजातीय विवाह, Special Marriage Act से निपटारा हो।

बेंज्जा ही पईत्त नु न्यायालय व्यवस्था, इबड़ा कत्थन अख़आ बिद्दी :–

(क). बिंजिर'उ पेल्लो अरा जोंःख़स गही उमईर (age of girl & boy) एवन्दा रअ़ई ?

(ख) बिंजिर'उ पेल्लो गही मन–मंजुर (concent) रअ़ई का मला ?

(ग) Essentials of marriage क्या–क्या है ?
(घ) Tyes of marriage अर्थात रूढ़ीगत उराँव बेंज्जा contractual/ sacramental/ mixed - क्या है ?
(ङ) बिंजिर'उर गही बेंज्जा एका बेसे मंज्जा, अर्थात किनके द्वारा सम्पन्न करवाया / ने ननताःचा ?

कानून में विवाह हेतु उम्र सीमा निर्धारित है /Age of marriage as per Court of Law -

(i) उराँव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। पर विधवा विवाह प्रथा पूर्वकाल से होता आया है।

(ii) 12 बछरे कुकोय जिया–कया सिंगरारा,
13 बछरे पेल्लो एड़पा कोरआ सपड़ारा।

माःघे चन्ददो नू, धुमकुड़िया पँड़िसया,
कुकोय जिया, पेल्लो मनर अँड़िसया।

12 चन्ददो नू 13 मईख़ना खूःरिया,
बुझुर–बुझुर पेल्लो जिया ढूःरिया।

7 चान, माःनीम करम उबुस्तारा,
करम डउड़न मलम किरतारा।

12 चन्ददो, 13 राःगे पाःड़ा–बेःचा परिदया,
खोंड़हा नू उज्जना–बिज्जना लूर खूःजिया।

जूःड़ी–पाँःती मना गे, चाँड़ मनी खोंड़हा लाट,
बेंज्जेरआ खोंड़हा नुम, पंग्गे रओ पड़हा पाट।।

भावार्थ :– 12वें बर्ष में बहन का मन और शरीर श्रंगार (मासिक आरंभ होना) किया। 13वें बर्ष में बहन किशोरी गृह प्रवेश के लिए तैयार हुई। माघ महीने में धुमकुड़िया मददगार बना, बेटी या बहन, किशोरी गृह पहूंची। जब 12 महीना में 13 बार मासिक चक्र (मईख़ना) पूर्ण हुआ तो वह अपनी शरीरिक स्वस्थ्य पूर्णता की स्थिति समझकर मुस्कुरायी। मासिक चक्र आरंभ होने के बाद 7 वर्ष तक करम उपवास कराएँ और शादी के रिस्ते के लिए आया हुआ करम डउड़ा को वापस न करें। और जब 12 महीना में 13 गीत–राग बहन सीख ले तो वह समाज के अन्दर जीवन जीने के लिए तत्पर समझें। विवाह बंधन के लिए जरूरत पड़ेगा समाज का साथ। समाज के अन्दर विवाह हो तो बना रहेगा, सामाजिक मर्यादा और विश्वास।

बेंज्जा (विवाह) के संबंध में एक गीत ऐसा गाया जाता है –

गोहला–कुड्डी ननर, मनी–मघा चाँख़रा,
सयो मघन बंदा बांञ्जिया, रे,
सयो मनिन बंदा बांञ्जिया।
जूड़ी जोंःख़स संग्गे मघा तरा काःदर,
मघा बंदा निमन बांञ्जो, रे,
मनी बंदा निमन बांञ्जो।.

16. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज की रूढ़ीवादी परम्परा, विश्वास–धर्म ही हमारी धरोहर है। इसलिए परम्परागत कुँड़ुख़ समाज रूढ़ीवादी परम्परा को बरकरार रखते हुए परम्परा के अनुसार की गई षादी से उत्पन्न संतान को ही वंशानुगत

सम्पति (पुस्तैनी जमीन) में हिस्सेदारी देता है। इससे इतर किसी अन्य विधि से की गई शादी से उत्पन्न संतान को पुस्तैनी जमीन में हिस्सेदारी के लिए परम्परागत समाज जवाबदेह नहीं है।

17. डली ढिबा – डली ढिबा का अर्थ डँड़ियाचका ढिबा। बेंज्जेरका ख़ोःख़ा दव रआ गे चिआ गे डँड़ियाअ़ना। डली झोकना = बेंज्जा मंज्जकन इंजिरना अरा डँड़ियाचकन झोकना। डली किरताअ़ना = बेंज्जा बिहउडी अरा बेंज्जा बिउडह़ी मना गे डँड़ियाचका झोकोचका ढिबन किरताअ़ना। डली ढिबा, वधु मुल्य नहीं है (Dali dhiba is not a bride price)। इसे वधु मूल्य या bride price न समझा जाय। कोहाँ पाःही के अवसर पर मयसरी और डलीढिबा (समाज के पंच द्वारा बेंज्जा (ववाह) की गवाही तथा बेंज्जा के बाद साथ निर्वहन के सहमति का प्रतिकात्मक धन (खुरजी) है जिसे कन्या की माँ या महिलाएँ अँचरा में झोकती हैं जो रिस्ता सम्हालने जैसा है। डली फड़ियाअ़ना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह सामाजिक प्रथागत प्रचलन है। यह दोनों पक्षों के पंचों द्वारा तय होता है।

परम्परागत उराँव समाज में अपने समाज के पंच द्वारा बेंज्जा सम्पन्न कराया जाता है और विवाह विच्छेद की स्थिति आने पर पंच लोगों को ही बेंज्जा सम्पन्न होने की गवाही तथा बेंज्जा के बाद साथ निर्वहन के सहमति का प्रतिकात्मक धन (खुरजी) डली ढिबा को लौटाना पड़ता है, उसके बाद ही बिउड़ही (विवाह विच्छेद) को सामाजिक मान्यता मिलती है।

18. मयसरी – मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक, भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँड़ुख़ भाषा के अनुसार उचित नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि शादी शब्द को अरबी मूल का माना गया है।

कुड़ुख़ बेंज्जा नु कुकोय तरतर बेंज्जा मंज्जका ख़ोःखा तंगदन बिदा ननो बाःरी – पाःकर की कुक्कोस गही खोंदहा तरतर गे जिमा चिअ़नर अरा कुक्कोस गही एड़पा–पल्ली तरतर कुकोय तरतर ही चिच्चका जिमन झोकनर दरा तमहँय एड़पा–पल्ली तरा ओन्दोरनर। अउला तिम कुकोय तंगहय बेंजेरका एड़पा अरा आ पद्दा ता मनी काःली। ईन्नलता बेड़ा नू हूँ सिसई–गुमला पहईट नू पुना ख़ेड़ो गही नाःमे ती पयसरी नेःग मनी। ई नेःग नू पुना ख़ेड़ो अरा पद्दा ता देव–देंवा अरा पचबल पुरखर संग्गे चिनहाँ परचा ननतार'ई। इदी गे पद्दा ता नैगस रंगुवा ख़ेःरन चराबअ़दस की बेगर एड़बम अम्बदस चिअ़दस।

19. कुँड़ुख़ बेंज्जा में किचरी बांःजना नेःत–नेःग अरा ख़ेड्ड अम्म झोकना नेःत–नेःग से आरंभ होता है। इस तरह जब सामाजिक अनुशासन में रहने के लिए परिवार सहमत होने पर ही समाज के लोग बेंज्जा करवाते हैं और जब सामाजिक अनुशासन को किसी पक्ष के द्वारा तोड़ा जाता हैं तो शिकायत प्रमाणित होने पर सामाजिक जुर्माना करवाया जाता है। यही, बिंज्जुर गही हउड़ी अर्थात बिहउड़ी है। बअ़नर बन्दा बांःजी, अन्नेम कुक्को–कुकोयर संग्गे नु बांःजरनर। बांःजरआ गे बेंज्जा। कुँड़ुख़ बेंज्जा में पाँःती ओक्कना नेःग, वर–वधु द्वारा जुआठ में साथ बैठकर सहमति जताया जाता है।

बांःजना का अर्थ अंगरेजी में to cover, to arrange in a discipline way for safeguard and good objectives की तरह है। बेंज्जा, सामाजिक अनुशासन है और इसे तोड़ने वाले पर शिकायत प्रमाणित होने से सामाजिक जुर्माना या बिहउड़ी जईरबना भरवाया जाए।

20. बेंज्जा बिउड़ही (बिंज्जुर गही उढ़ीयाताचका/विवाह विच्छेद/छुटा–छुटी/ तलाक) :– बेंज्जा सामाजिक विधान है, अतएव यदि कोई विवाह विच्छेद करना चाहता है तो शिकायत करने पर समाज द्वारा बिहउड़ी जईरबना (सामाजिक जुर्माना) किया जाता है तथा कन्या तरफ से डली ढिबा को लौटाना पड़ता है, जिसे डली किरताअ़ना

कहा जाता है। समाज में ऐसी ही प्रथा प्रचलन में है। समाज में डली ढिबा वापसी के बाद ही विवाह को मुक्त माना जाता है। बिउड़ही जईबना, पड़हा पचोरर मझी मनी।

नोट – वैसे कई आदिवासी समाज में महिला को तलाक लेने का अधिकार खाशकर सिक्किम के आदिवासी समाज में नहीं है। (समाचार पत्र–पत्रिका में छपे लेख के आधार पर)।

बिहउड़ी :– बिंज्जुर गही हउड़ी = बिहउड़ी। उराँव रूढ़ी–परम्परा नू बिहउड़ी गही मईनता बैसकी अरा जईरबना बिहउड़ी। उराँव रूढ़ी–परम्परा में बेंज्जा बिहउड़ी (छुटा–छुटी/विवाह विच्छेद/तलाक) की प्रथागत बातें एवं उराँव रूढ़ी–परम्परा में शादी के आवश्यक विधान :–

(i) कुकोस गही पद्दा मलता कुकोय गही पद्दा नू पद्दा पंच्चा (पद्दा सबहा मजही पचोरर गही नेवई ननना) ओक्को अरा फरीफटी मनो। पिटरी ओकताअ़ना गे अड्डा सिरे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। ईन्नलता बेड़ा नू ईद ग्रामसभा बातार'ईं। बैठक - I (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस काःलो अरा पचोरा गही कत्था दरा नेवई टूड़तारओ।)

(ii) पद्दा पंच्चा नू कत्था मल फड़ियारका ती कत्था पड़हा मझी काःलो दरा पड़हा बेःलस बईसकी मेःख़तोओस। पिटरी ओकोरना मलता पिटरी ओकताअ़ना गे अड्डा सिरे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। बैठक - II (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस काःलो अरा पचोरर गही कत्था दरा नेवई टूड़तारओ।)

(iii) पड़हा पंच्चा नू हूँ कत्था मल फड़ियारका ती मदईत पड़हा (एक से अधिक पड़हा) ओक्को। इदि गे मदईत पड़हा मझी पिटरी ओकोरना मनी। पिटरी ओकताअ़ना गे अड्डा सिरे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। बैठक - III (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस काःलो अरा पचोरा गही कत्था दरा नेवई टूड़तारओ।)

पद्दा–पड़हा–बेलपंच्चा ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती अबड़ा नालिस–फउदारिन ईन्नलता कोर्ट (न्यायालय) नू , मला होले बिसुसेंदरा नू नालिस ननना काःला ओंग्गनर। असन आ अड्डा ता लेखे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। उराँव पारम्परिक बिहउड़ी जईरबना या विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय तक जाने के लिए कम से कम तीन बैठक (क्रमांक (i), (ii) एवं (iii) वाला बैठक करवाना आवश्यक होगा।

तथ्य है कि उच्च न्यायालय रांची द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा में कहा गया है कि आदिवासी मामले में उनके परम्परागत सामाजिक तरीके के फैसले के आधार पर न्याय किया जाय। बिहउड़ी = बिंज्जुर गही हउड़ी। हउड़ाअ़ना = ढूँढ़ना, कारण तक पहूँचना। इस तरह बिहउड़ी = विवाह टूटने के कारण तक पहूँचना और सामाजिक जुर्माना तय करना तथा डली किरताअ़ना को आवश्यक माना गया है।

नोट – बिहउड़ी मंज्जका अरा डली किरताचका (विवाह संबंध त्यागने की प्रक्रिया किया जाना) = बेंज्जा हउड़ी (छुटा–छुटी/विवाह विच्छेद/तलाक)। बेंज्जा एक सामाजिक संस्कार है तथा कुँडुख़ परम्परा में किसी व्यक्ति का जीवन में कँड़सा–मड़वा बेंज्जा एक बार होता है। यदि किसी जोड़ी का जोड़ी टूट जाता हैं तो दूसरा विवाह के लिए अलग–अलग प्रक्रिया है। इस तरह यदि वर–वधु दोनों कुँवारे हो तो मड़वा–कँड़सा बेंज्जा होता है और यदि वर या वधु दोनों की पहले शादी हुई हो तो संगहा–सगई बेंज्जा होता है। परन्तु यदि लड़की की शादी पहले हो चुकी हो तथा लड़का कुँवारा हो तो, लड़का का पहले फूल शादी करने के बाद सगई–संगहा बेंज्जा नेग होता है। उसी तरह लड़का की शादी पहले हो चुकी हो तथा लड़की कुँवारी हो तो, लड़की का पहले फूल शादी करने के बाद सगई–संगहा बेंज्जा नेग होता है। परम्परागत उराँव समाज में विवाह को न मानने पर सामाजिक अपराध की तरह समझा गया है, जिसके लिए बिहउड़ी (सामाजिक जुर्माना) देना पड़ता है तथा लड़की वालों को बिहउड़ी के साथ, डली किरताअ़ना (विवाह के सगुन का रकम वापस करना) होता है, उसके बाद ही बेंज्जा बिउड़ही मान्य होता है।

बिउड़ही (बिंज्जुर गही उढ़ीयाताचका) या छुटा–छुटी या तलाक के कारण :–

(क) पत्नी का किसी दूसरे पुरूष के साथ या पति का दूसरी औरत के साथ, अवैध संबंध साबित हो।
(ख) यदि पति नामर्द या पत्नी बांझ हो या बांझ साबित हो।
(ग) मेःत/मुक्का संग्गे–संग्गे मल रअ़ना (दो साल तक अलग रह रहे हों तो)।
(ध) जहड़ी मेःत/मुक्का (क्रूर पति या पत्नी)।
(ङ) ठगुवा बेंज्जा (रोग छिपाकर शादी तथा धोखाधड़ी कर शादी करना)।
(च) पति या पत्नी का पागलपन।
(छ) प्रथागत धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में जाना।
(ज) पति या पत्नी की मृत्यु अथवा 7 साल तक जीवित होने का प्रमाण न मिलने पर।

कुड़ुख़ में, बिउड़ही (बिंज्जुर ही उड़हीयाचका/छुटा–छुटी/विवाह विच्छेद/तलाक) एक कठिन प्रक्रिया है। उराँव समाज में मान्यता है कि परम्परागत सामाजिक बेंज्जा एक सामाजिक विधान है, इसलिए जो विवाह को नहीं मानता है वह सामाजिक विधान को भंग करता है और सामाजिक विधान को भंग करने वाले से सामाज द्वारा बिहउड़ी तय किया जाता है। जिसके तहत उन दोनों परिवार (वर–वधु के परिवार) को सामाजिक जुर्माना (बिहउड़ी जईरबना) तथा डली ढिबा किरताअ़ना करना पड़ता है। डली ढिबा किरताअ़ना ख़द्दी जतरा डण्डी इस प्रकार है :–

1. कल मइयाँ कल – कल कोय,
   जौनख़द्दिस होअ़आ बरचस।
2. एःन मला काःलोन ददा,
   जोड़ी जोंःख़स जिया चिअ़दस।
   एःन मला काःलोन ददा,
   संगी जोंःख़स जिया चिअ़दस।
3. एःन मला काःलोन ददा,
   जोड़ी जोंःख़स जिया चिअ़दस।
   एःन मला काःलोन ददा,
   डली ढिबन किरतर चिअ़आ।

भावार्थ :– इस गीत में परम्परागत उरांव समाज में प्रचलित वैयक्तिक प्रेम के चलते अपने वैवाहिक संबंध तोड़ने के लिए एक बहन अपने भाई से निवेदन करती है। भाई कहता है – जाओ बहन जाओ, दामाद बाबू ले जाने के लिए आये हैं। इसपर बहन कहती है – नहीं भैया नहीं, मैं ससुराल नहीं जाउंगी, मेरा हमउम्र साथी, मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। इसलिए हे भैया – आप मेरा डली ढिबा वापस कर दीजिए। मैं ससुराल नहीं जाउंगी। परम्परागत उरांव आदिवासी समाज में विवाह विच्छेद के लिए डली ढिबा (विवाह रस्म के शगून का प्रतीक धनराशि जिसे वर्तमान में सवा रूपया, ढाई रुपया से बढ़ाकर ग्यारह रुपया के करीब किया गया है) को लौटाना पड़ता है। डली ढिबा लौटाने से पहले शिकायत मिलने पर पंच बैठता है और बिहउड़ी जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद ही विवाह विच्छेद को सामाजिक मान्यता मिलती है। वैसे कई दूसरे आदिवासी समाज में महिला को तलाक लेने का अधिकार (सिक्किम के आदिवासी समाज में) नहीं दिया जाता है।

21. ख़ोःरपोस :– मेःतस तरती बेंज्जा अम्बरका ती मुक्का अरा ख़द्दर गे उज्जा–बिज्जा खतरी मेःतस ख़ोःरपोस (ख़ोःरा पोसोरआ गे खुरजी) चिओस। पहें बेंज्जा अम्बरना नू मुक्का गही दोसी मंज्जका ती बिहउड़ी ननो बाःरी मेःतस ख़ोःरपोस चिआ गे कसूरदार मल मनोस। मुक्का, ख़ोःरपोस होअर तंगआ ससरईर नू तंगआ ती जुदम रआ उंग्गी, एंदेर

गे का अदिन पंच्चर बेंज्जा नन्तअर तमहंय पद्दा नू ओन्दोरनर अवंगे अदिन पंच्चर पद्दा ती बड़ियम मल गुछाबअ़नर। अबड़र गही ख़द्दन तम्बस एःरोस अरा तंगदस गे हिंसा–बटा चिओस।

कुड़ुख़ में, विवाह विच्छेद (तलाक) की प्रक्रिया, विशिष्ट है। उराँव समाज में मान्यता है कि परम्परागत सामाजिक बेंज्जा एक सामाजिक विधान है, इसलिए जो विवाह विच्छेद करता है वह सामाजिक विधान को भंग करता है और सामाजिक विधान को भंग करने वाले से सामाज द्वारा बिहउड़ी (सामाजिक जुर्माना) तय किया जाता है, जो दोनों पक्ष अर्थात लड़का पक्ष या लड़की पक्ष, दोनों पर लागू होता है और बिउड़ही के लिए डली किरताअ़ना (डली लौटाना) लड़की पक्ष द्वारा लौटाना होता है, क्योंकि डली झोकने की जबाबदेही लड़की पक्ष के पास रहता है। अतएव विवाह विच्छेद अर्थात बेंज्जा बिउड़ही के लिए डली किरताअ़ना आवश्यक है।

22. कोंयछंदा ख़द्द – गोद लिया हुआ बच्चा। कोंयछा (माँ के आंचल की थैला) + छंदा (छांदा हुआ)। कोंयछंदा ख़द्द (गोद लिया हुआ बच्चा) अपनाने का कारण :–

(i) पति/पत्नी का जब कोई अपना बच्चा न हो।

(ii) पारिवारिक संपत्ति का देखरेख करनेवाला न रहने पर बच्चा गोद लिया जाता रहा है।

23. कुँड़ुख़ भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि है। इसे (तोलोंग सिकि लिपि को) झारखण्ड सरकार में 2003 से तथा पश्चिम बंगाल सरकार में 2018 से कुँड़ुख़ भाषा की लिपि की मान्यता मिली है। इसलिए, अपनी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु बिसुसेन्दरा यह निर्णय करती है कि – स्कूलो में हिन्दी एवं अंगरेजी भाषा विषय के साथ कुँड़ुख़ भाषा (तोलोंग सिकि के साथ) विषय की भी पढ़ाई–लिखाई करनी है। इसके लिए हम केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से मदद लेंगे। ज्ञात है कि केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया है, जिसमें हिन्दी, अंगरेजी एवं मातृभाषा शिक्षा नियम लागू है।

24. कुँड़ुख़ भाषा (तोलोंग सिकि के साथ) को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाय। इसके लिए एक कमिटी गठित कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया जाय।

25. झारखण्ड ग्राम सभा नियमावली 2003 अधिनियम की कंडिका 5 में प्रावधान निहित है कि– कंडिका 5(ग) – ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाएगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप–मुखिया बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अघ्यक्षता, उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उपमुखिया या उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य नहीं हों और उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पहान, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।

उपरोक्त के संबंध में बिसुसेन्दरा मे निर्णय लिया गया कि – हमारे अधिसूचित क्षेत्र में इस बात का कड़ाई से पालन किया जाय कि ग्राम सभा की अध्यक्षता हमेशा ही पहान के द्वारा या महान की अनुपस्थिति में महतो के द्वारा किया जाए।

(नोट – अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस गांव के पहान, महतो करेंगे – यह अच्छा फैसला है। इसके लिए सरकार, परम्परागत पहान, महतो से परम्परागत कार्य, संस्कार–संस्कृति के बचाव एवं विकास में वित्तीय मदद करे। पर, परम्परागत पहान, महतो से विकास के कार्यों में या ठेकेदारी कार्य से जोड़ने का कार्य न करे।)

26. परम्परागत सामाजिक व्यवस्था पड़हा, धुमकुड़िया एवं अखड़ा को पुनर्जीवित कर इसे वर्तमान प्रशासनिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। गाँव–समाज में झगड़ा–झंझट या गिला–सिकवा का निपटारा स्थानीय तरीके से एवं कानून संम्मत हो। दोसी व्यक्ति को पंच द्वारा निर्धारित विधि सम्मत जुर्माना भी देय होगा। इस सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए प्रतिवर्ष पचोरा पड़हा बैठक हो। इसी तरह प्रत्येक 03 वर्ष में बिसुसेन्दरा बैठक तथा राजी बिसुसेन्दरा 12 वर्ष में एक बार अयोजित हो। बिसुसेन्दरा, परम्परागत उराँव समाज का सर्वोच्च परिषद (Supreme Council) है। बिसुसेन्दरा (बि + सु + सेन्दरा) का अर्थ बि = बी अरा बिहनी, सु = सुसर ननना, सेन्दरा सेन्दरा (सोन्दओ ननना अरा रोपड़ो नन्ना) अर्थात वंश शक्ति को सुरक्षित तथा संवर्द्धित करते रहने हेतु सेन्दरा है। बिसुसेन्दरा का कार्य, समाज को अनुशासित रखना तथा बाहरी दबाव से समाज की रक्षा करना अथवा सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करना है। जैसा कि आई.पी.सी. 96–100 तक में आत्मरक्षा संबंधी वर्णन है।

नोट – धुमकुड़िया प्रवेश का समय या जोंख़ एड़पा प्रवेश का समय, माघ महीना इंजोरिया पक्ष अथवा अमावस के बाद से माघ पुर्णिमा तक होता था। वहीं पेल्लो एड़पा में प्रवेश का समय हेतु उराँव युवतियाँ ''सिनगी दइई पेल्लो महवा उल्ला'' अर्थात बैशाख पुर्णिमा के दिन किशोरी गौरव दिवस के रूप में संस्कारित होना चाहती हैं। तथ्य है कि बैशाख पुर्णिमा के समय जब उराँव पुरूष वर्ग, राःजी बिसुसेन्दरा गये हुए थे तब दुश्मन लोग आक्रमण किये, जिसमें हमारी उराँव महिलाएँ एवं युवतियाँ दो बार जीतीं पर तीसरी बार वे असफल हो गईं, जब उजाला होने लगा।

27. पड़हा के अन्तर्गत 10 से 15 गाँव के लोग आपसी सामाजिक सहमति से एक मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय चलाएँ। इसके लिए प्रत्येक परिवार से पड़हा के नाम पर 01 (एक) सूप धान तथा धुमकुड़िया के नाम पर साप्ताहिक मुठा चावल जमा करेंगे और आमद–खर्चा का हिसाब रखते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति एवं धुमकुड़िया प्रबंधन समिति द्वारा संचालित किया करें।

28. कुँडुख़ समाज अपने पारम्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई पति–पत्नी अपने वंश–परिवार में आपसी सहमती के बाद अपने वंश–परिवार के बच्चे को गोद लेकर माय–बाप (माता–पिता) बन सकता है और स्वंय द्वारा अर्जित धन को उस बच्चे को दे सकता है। इसके लिए गोद लेने वाले तथा बच्चा देने वाले दोनों की सहमति देनी होगी और गोदनामा की प्रक्रिया को ग्राम सभा से मान्यता लेना होगा। साथ ही जिसे गोद लिया जाना हो, उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक न हो और गोद लिये जाने के रस्म के साथ पंच लोगों के लिए सोड़ा मण्डी आयोजन करना होगा।

परिवार या खानदान के बच्चे को।

(i) परिवार या खानदान के बच्चे को।

(ii) किसी अपने कुटुम्ब गोत्र या वंश के बच्चे को।

(iii) परम्परागत उराँव समाज, किसी गैर जाति या वंश के बच्चे को गोद लेने हेतु वर्जित करता है।

29. जब परम्परागत कुँडुख़ (उराँव) समुदाय के परिवार में कोई बेटा न हो, उस स्थिति में माता–पिता, द्वारा अपने बेटी के पति को घरजमाई रखने का रिवाज है, परन्तु इसके लिए बेटी को विवाह के समय ही यह बात ग्राम सभा में सामने रखना होगा कि वे दामाद को घर–दमाद रखना चाहते हैं और इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। दामाद बाबू तभी तक घर–दमाद रहेंगे जबतक दामाद के सास–ससुर जीवित रहे। सास–ससुर की मृत्यु के पश्चात बेटी–दामाद, अपने पिता के घर (दामाद के पिता का घर) वापस चला जावे। यदि दामाद को ससुराल में बसाने की जिम्मेदारी परिवार एवं सामाजिक समरस्ता बने तो ग्रामसभा का निर्णय मान्य होगा।

30. कैडेस्टल सर्वे (1908 ई0 का खतियान) का 115 वाँ वर्ष पूरा हो गया। तब से अब तक, एक लम्बा समय बीत चुका है। अब समाज एवं समय की मांग के अनुसार पड़हा–पंच एवं ग्रामसभा को एक साथ मिलकर कैडेस्टल सर्वे

के आधार पर खतियानी वारिशों का कुर्सीनामा, खेवट से जोड़कर तैयार करें और आवश्यकता पड़ने पर सरकार से भी मदद लें। यह कार्य आनेवाली पीढ़ी के लिए सद्भावना और शांति का रास्ता बनाएगा।

31. बिसुसेन्दरा 2024 में पारित नियम का अनुपालन, प्रत्येक गाँव में पारम्परिक तरीके से चले आ रहे पद्दा पंच्चा (ग्राम सभा) के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें पद्दा (गाँव) न्याय पंच सदस्य निम्न होंगे –

(क) पहान (भुँईहरी पहनई)।
(ख) महतो (भुँईहरी महतवई)।
(ग) पुजार (भुँईहरी पुजरई)।
(घ) जेठ रैयत परिवार से एक मनोनित सदस्य।
(ङ) गौंरो परिवार से एक मनोनित सदस्य।
(च) भंड़ारी परिवार से एक।
(छ) जोंख़ कोटवार
(ज) पेल्लो कोटवार
(झ) मुखी जोंख़ (अधेड़ उम का पुरूष कोटवार)
(ञ) मुखी पेल्लो (अधेड़ उम की महिला कोटवार)
(ट) गांव के सभी वयस्क महिला एवं पुरूष, ग्राम सभा का सदस्य होंगे।

बिसुसेन्दरा 2024 सभी पड़हा बेल को आदेश देती है कि उरांव समाज में पड़हा बैठक तथा बेल पंच्चा बैठक में लिये गए निर्णय को ग्राम सभा या पड़हा बैठक रजिस्टर में दर्ज करें और अपना हस्ताक्षर या ठेपा निशान लगावें। अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) के अंतर्गत, ग्रामसभा की अध्यक्षता, झारखण्ड ग्रामसभा नियमावली 2003 के तहत संबंधित गांव के परम्परागत पहान करेंगे और पहान की अनुपस्थिति में संबंधित गांव का परम्परागत महतो द्वारा किया जाए। ग्राम सभा (पद्दा पंच्चा) द्वारा, पद्दा न्याय पंच अथवा ग्राम न्याय पंच का गठन किया जाए। पहान का चयन, आध्यात्मिक विधि द्वारा अर्थात पाय रेंगवाना अनुष्ठान विधि द्वारा चयनित प्रतिनिधि को ही अंतिम माना जाए। इसी तरह रूढ़ीप्रथागत समाज में प्रथागत रूप से आ रहे पाय रेंगवाना अनुष्ठान विधि द्वारा पड़हा बेल के चयन को अंतिम माना जाए। परम्परागत उराँव समाज में पड़हा बेल को ही पड़हा बैठक की अध्यक्षता करने तथा पड़हा जतरा में घोड़ा चढ़ने का अधिकार रहा था। बेलपंच्चा सभा की अध्यक्षता, शिकायत कर्ता द्वारा 3 या 5 या 7 या 9 पड़हा बेल में से किसी एक को अध्यक्षता के लिए चयनित पड़हा बेल द्वारा किया जाए।

पुरानी किताबों में से श्रद्धेय एस.सी राय की पुस्तक ''उराँव ऑफ छोटानागपुर'' में सभा का संचालन हेतु वर्णित बातें हैं – ''पहान गाँव बनाएला आउर महतो गाँव चलाएला'' ('नैगस पद्दा कमदस अरा महतोस पद्दन चलाबअ़दस') की कहावत के अनुसार हुआ करता था। पर अब भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, धारा 4(घ) तथा झारखण्ड ग्राम सभा नियमावली 2003 के अनुरूप, गांव का प्रथागत पहान को सामाजिक ग्राम सभा का अध्यक्ष मनोनित किया जाए। ग्राम सभा या पड़हा में किसी विवाद के विषय पर ग्राम सभा अध्यक्षता हेतु गांव के पहान को अथवा पड़हा बेल को लिखित शिकायत दिया जाए, जिसकी सुनवाई दोनो पक्षों की उपस्थिति में पंच फैसला करे।

32. पद्दा सभा (ग्राम सभा) में किसी मामले का निपटारा नहीं हो पाने पर, पड़हा पंच्चा द्वारा विवाद को सुलझाया जाए और पड़हा पंच्चा द्वारा विवाद न सुलझे तो मामले को बेलपंच्चा बैठक करके निर्णय लिया जाए। बेलपंच्चा सभा में कम से कम 03 या 05 या 07 या 09 पड़हा बेल शामिल हों। जिसमें बैठक के अधिकतम पड़हा के फैसले को ''बेलपंच्चा'' का निर्णय स्वीकार किया जाए। बेल पंच्चा बैठक में परम्पारिक रूप से संचालित पंच जैसे – 1. पडह़ा बेल 2. पड़हा देवान 3. पड़हा कोटवार तथा चार मनोनित सदस्य (कुल सात) तथा प्रत्येक पड़हा गांव से कम से कम पांच सदस्यों की उपस्थिति में पड़हा न्याय पंच के द्वारा निर्णय किया जाए। यदि किसी मामले का निर्णय तीन बैठक

(क्रमवार पद्दा पंच्चा, पड़हा पंच्चा तथा बेल पंच्चा) के बाद भी नहीं हो, तो उस मामले को न्यायालय व्यवस्था में या बिसुसेंदरा में ले जाने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होगा।

ग्रामसभा या पद्दा पंच्चा के निर्णय को पड़हा में अपील करने की समय सीमा 90 दिन होगा। इसी तरह पड़हा पंच्चा के आदेश को बेलपंच्चा में अपील करने का समय सीमा 90 दिन होगा और बेल पंच्चा के निर्णय को बिसुसेन्दरा में अपील करने का समय सीमा 09 महीना होगा। इस समय सीमा के बाद शिकायत पर सुनवाई नहीं होगी। बिसुसेन्दरा को प्रथागत उराँव आदिवासी समाज, सामाजिक न्याय का Supreme council मानता है, इसलिए वहाँ के सामाजिक न्याय को किसी दूसरे स्थान पर चुनौति देना मान्य नहीं है। जैसा कि पारिवारिक न्यायालय का Mediation commitee अथवा Mediation commitee court के फैसले को चुनौति नहीं दिया जाता है। परम्परागत उरांव समाज अपने सामाजिक व्यवस्था में श्रद्धा रखते हुए बिसुसेन्दरा के निर्णय को स्वीकार करता है।

(नोट :– उराँव रूढ़ी–परम्परा में पड़हा गांव के अन्तर्गत पड़हा गांव में से बेल पद्दा या राजा गांव चयनित है। इसी राजा गांव से किसी एक व्यक्ति को पूजा अनुष्ठान के बाद पड़हा बेल चुना जाता है और वह पड़हा जतरा में काठ घोडो चढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। राजा गांव के लोगों को राजा का कार्य अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का संचालन तथा निर्वहन करने की सामाजिक जिम्मेदारी होती है, जिसमें पंचगण मदद करते है। वर्तमान समय में तीन सीढ़ी यानि पद्दा पंच्चा (गांव की सभा), पड़हा पंच्चा (पड़हा गाव की सभा) तथा बेलपंच्चा (पड़हा बेल समूह की सभा) से गुजरने पर एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सामाजिक न्याय मिलेगा या सामाजिक न्याय मिलने का उम्मीद जगेगा। यदि कोई व्यक्ति, इस सामाजिक न्याय से संतुष्ट न हों तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ध्यातव्य हो कि ''बिसुसेन्दरा'' परम्परागत उराँव समाज का सर्वोच्च परिषद है (BISUSENDRA is a Supreme Council of Traditional Oraon Society). बिसुसेन्दरा, क्षेत्रीय स्तर पर 03 वर्ष में एक बार होता रहा है तथा राजी बिसुसेन्दरा 12 वर्ष में एक बार होता आया है, ऐसे में यह त्रिस्तरीय परम्परागत सामाजिक न्याय प्रणाली, सरल एवं त्वरित न्याय प्रणाली सिद्ध होगा।

परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल के अन्तर्गत
परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, दिनांक 18–19 मई 2024
स्थान – पड़हा पिण्डा, ग्राम : सैन्दा, थाना सिसई, जिला गुमला (झारखण्ड)
में उपस्थित माननीय पंचगण –

क्र.म.	नाम	–	गाँव	–	पड़हा	–	थाना	–	हस्ताक्षर
(क)	09 पड़हा करकरी–अताकोरा								
1.	बिश्वनाथ उरांव		करकरी / राजा		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०.
2.	चैतु पहान		अताकोरा / देवान		9 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
3.	जुब्बी उरांव		सियांग / बड़काअंदाज		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
4.	बलकु उरांव		पंडरानी / चौकीदार		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
5.	सुरेश पहान		बुड़का / पइनभारा		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
6.	पाथो पहान		सैन्दा / कोटवार		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
7.	बिनोद पहान		बघनी / बइलचलवा		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
8.	सोमा उरांव		मंगलो / करठा		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
9.	मनी उरांव		पबेया / चटाई बिछवा		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
(ख)	07 पड़हा चैगरी–शिवनाथपुर								
1.	फागु पहान		चैगरी / राजा		7 पड़हा		पुसो	–	ह० / अ०
2.	बिरसा पहान		शिवनाथपुर / देवान		7 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
3.	करमा उरांव		लावागईं / कोटवारं		7 पड़हा		पुसो	–	ह० / अ०
4.	महाबीर पहान		सेमरा / करठा		7 पड़हा		पुसो	–	ह० / अ०
5.	बुदू पहान		कुरगी / पइनभरा		7 पड़हा		पुसो	–	ह० / अ०
6.	मुण्डा पहान		खेर्रा / भंड़ारी		7 पड़हा		पुसो	–	ह० / अ०
7.	फागु उरांव		कोड़ेदाग / जुतबोहा		7 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
(ग)	05 पड़हा चैगरी–बटकुरी								
1.	चन्द्रशेखर उरांव महतो		चैगरी / राजा ,		5 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
2.	गोंयदा पहान		बटकुरी / देवान		5 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
3.	बिनोद पहान		मलगो / कोटवार		5 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
4.	लखना पहान		मोरगांव / करठा		5 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
5	बुधू मुण्डा पहान		लोंगा / चिलम ल		5 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
6.	श्यामनारायण पहान		मकड़ा / कुवंरबेल		5 पड़हा दूधभइया,		भरनो	–	ह० / अ०
(घ)	गणमान्य एवं प्रबुद्ध पंचगण								
1.	मंगरा उरांव		मंगलो		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
2.	पंचाल उरांव		अताकोरा		9 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
3.	राजेन्द्र भगत		तिलसिरी		7 पड़हा		घाघरा	–	ह० / अ०
4.	जितेश उराँव		लिटाटोली		5 पड़हा		गुमला	–	ह० / अ०
5.	श्रीमती फूलकुमारी केरकेट्टा		अताकोरा		7 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
6.	श्रीमती राजेशवरी उरांव		बटकोरी		5 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
7.	श्रीमती पुष्पा उरांव		पंडरानी		9 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
8.	श्रीमती सुनीता उरांव		चैगरी घाघटोली		7 पड़हा		पुसो	–	ह० / अ०
9.	पुनई उरांव		सैन्दा		7 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
10.	बिजय उरांव		जलका		5 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०
11.	नन्दु उरांव		महादेव चैगरी		5 पड़हा		भरनो	–	ह० / अ०
12.	श्रीमती सुकरमुनी उरांव		कोड़ेदाग		7 पड़हा		सिसई	–	ह० / अ०

रिपोर्टर : गजेन्द्र उरांव, सैन्दा टोली (पड़हा कोटवार), 09 पड़हा करकरी–अताकोरा। दिनांक – 19 मई 2024

दो दिवसीय
सम्मेलन
दिनांक –18 मई
2024
सिसाई.

6. माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड–छतीसगढ़ का आदेश एवं परम्परागत उरांव समाज की न्यायिक चुनौतियाँ

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के द्वी–सदस्यीय पीठ द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में दिनांक 08.04.2021 के फैसले के कंडिका 29 में कहा गया है कि - "We, accordingly, set aside the judgement dated 16.03.2018, passed in Original Suit No. 583 of 2017 by the Principal Judge, Family Court, Ranch, and remand the matter to Family Court to frame an appropriate issue in regard to existence of provision of customary divorce in the community of the parties to these proceeding to get marriage dissolved. We permit the parties to amend the pleading, if so desire and also to lead evidence to prove the existence of a provision of customary divorce in their community. The Family Court will consider the matter afresh without being influenced by the observations made by this court hereinabove expeditiously. (तदनुसार, हम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रांची द्वारा 2017 के मूल वाद संख्या 583 में पारित दिनांक 16.3.2018 के निर्णय को रद्द करते हैं और इस मामले को कुटुंब न्यायालय को भेज देते हैं ताकि वह इस मामले में विवाह भंग करने के लिए पक्षकारों के समुदाय में प्रथागत तलाक के अस्तित्व के संबंध में एक उपयुक्त मुद्दा बनाये। हम पक्षकारों को, यदि वे ऐसा चाहते हैं तो, याचिकाओं में संशोधन और अपने समुदाय में प्रथागत तलाक के प्रावधान के अस्तित्व को साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं। कुटुम्ब न्यायालय इस न्यायालय द्वारा एतद्द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना शीघ्रता से इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगा।

फैमिली कोर्ट को कस्टमरी लॉ के तहत तलाक देने की है शक्ति : हाइकोर्ट

वरीय संवाददाता, रांची

- उरांव जनजाति के प्रार्थी की तलाक की याचिका का मामला, फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
- **हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को किया खारिज, सुनवाई के लिए मामले को वापस भेज दिया**
- कहा : फैमिली कोर्ट एक्ट एक सेक्यूलर लॉ है, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला कर सकता है

झारखंड हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने उरांव जनजाति के प्रार्थी के तलाक से संबंधित मामले को रांची के फैमिली कोर्ट को सुनवाई के लिए वापस भेज दिया. साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एक सेक्यूलर कानून है.

खंडपीठ ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट-1984 सभी धर्मों के लिए लागू एक धर्मनिरपेक्ष कानून है. फैमिली कोर्ट में कस्टम को प्रूफ करने की जरूरत होगी. कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर निर्णय लेने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास है. मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन व कुमार वैभव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि उरांव जनजाति के युवक का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था. विवाहेत्तर संबंध के कारण वह पत्नी से तलाक चाहता था.

यह है मामला : उरांव जनजाति के युवक ने रांची फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी. फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मेंटेनेबल नहीं है. यह कोर्ट कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला नहीं सुना सकता है. कस्टमरी लॉ लिपिबद्ध नहीं है. यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

उरांव जनजाति समाज में छुटा-छुटी का है प्रावधान : एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि उरांव जनजाति समाज में बैठक कर निर्णय लेकर पति-पत्नी के अलग होने (छुटा-छुटी) का प्रावधान है. तलाक के लिए इच्छुक युवक ने समाज में बैठक के लिए मामले को आगे किया, लेकिन लड़की (पत्नी) के शामिल नहीं होने के कारण समाज की बैठक नहीं हो पायी. इसके बाद युवक ने अपने कस्टमरी लॉ का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट में धारा-सात के तहत तलाक के लिए मामला दायर कर दिया.

इसी तरह बिलासपुर, छतीसगढ़, के नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2023 को खबर छपी – हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक का क्या नियम है ? तथा माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशिनर को नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी।)''

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bilaspur City - 26 Dec 2023 - 26 Nya 1a
epaper.navabharat.news

रन लगा। इसका विरोध करन पर सिपाहा सिपाहा का सस्पड कर दिया ह।

हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक के क्या नियम हैं

याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की छूट

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि,केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आदिवासी समाज में तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की भी छूट दी है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डीबी में इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कोरबा जिले का है, जहां आदिवासी समाज से आने वाले पति-पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए

परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी थी और तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। पत्नी ने इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा याचिकाकर्ता के एडवोकेट से पूछा कि क्या आदिवासी समाज में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उन्होंने एडवोकेट को एक्ट की धारा पढ़ने के लिए कहा और साफ किया कि, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस प्रकरण में तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पति की ओर से तलाक की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की बात कही गई।

डीबी ने स्पष्ट किया कि, अपील पर आपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश याचिका दायर करने की भी छूट दी है।

'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से चिवार–विमर्श कर, त्रिस्तरीय **परम्परागत ग्रामसभा न्याय पंच** पद्धति – 1. पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा) 2. पड़हा पंच्चा (पड़हा स्तर पर) 3. बेलपंच्चा (कई पड़हा बेल द्वारा सामूहिक स्तर पर) है। बिसुसेन्दरा, परम्परागत उराँव समाज का सर्वोपरी सामाजिक न्याय संसद है, जहाँ सामाजिक मार्ग–दर्शन तैयार किया गया। उराँव (कुँड़ुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक करते हैं। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले **ग्राम सभा** के सामने, शिकायत करना होगा। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करे और शिकायत का निपटारा करे।

इस प्रणाली द्वारा दिये गए फैसले की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – **पड़हा पंच्चा** द्वारा एवं अपील II – **बेलपंच्चा** (सामाजिक न्याय व्यवस्था बईसकी में कम से कम 03 या 05 पड़हा या 07 या 09 बेल शामिल हों) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा आवेदित पड़हा बेल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रकिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ।''

'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से चिचार–विमर्श कर, त्रिस्तरीय **परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बेःलपंच्चा** पद्धति – (1) पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा), यह ग्राम स्तर पर होता है। (2) पड़हा पंच्चा (पड़हा सभा), यह उराँव समाज में पड़हा स्तर पर होता है। (3) बेल पंच्चा (बेःल समूह की न्यायियक सभा) – अर्थात कई पड़हा बेल समूह अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 या 9 पड़हा बेल मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार शामिल होते हैं। परम्परागत उराँव समाज में बिसुसेन्दरा पद्धति है जो परम्परागत उराँव समाज का उच्च सामाजिक न्यायियक संसद के स्वरूप में है और सामाजिक नियम एवं मार्ग–दर्शन तय करता है तथा अनुपालन नहीं होने पर दण्ड भी तय करता है। इसी तरह उराँव (कुँड़ुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक करते हैं। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले **ग्राम सभा** के सामने, शिकायत किया जाता है। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को सूचना देकर कर बुलाता है तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा के सामने होता है। उराँव समाज में बिसुसेन्दरा सम्मेलन करके निर्णय लिया गया कि अब ग्रामसभा की कार्यवाही अधिकृत रजिस्टर में दर्ज किया करें।

इस प्रणाली द्वारा दिये गए ग्रामसभा के निर्णय की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – **पड़हा पंच्च (पड़हा गांव की सभा)** द्वारा एवं अपील II – **बेःल पंच्चा (बेःल समूह की सभा)** (सामाजिक न्याय व्यवस्था बईसकी में कम से कम तीन या पांच पड़हा बेल शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा चयनित पड़हा बेल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रकिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ। बिसुसेन्दरा द्वारा पारित यह प्रस्ताव, सामाजिक व्यवहार के लिए जनहित में जारी है।''

परम्परागत उरांव समाज की त्रिस्तरीय सामाजिक न्याय पंच प्रणाली ''परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023'' द्वारा लिया गया फैसला प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। उपरोक्त सामाजिक न्याय प्रणाली की पर टिप्पणी न करते हुए कुछ सुझाव इस प्रकार है :–

1. परम्परागत उरांव समाज में इस व्यवस्था को परम्परागत उरांव सामाजिक नेवई (न्याय) पंच कहा जाए।

2. परम्परागत उरांव सामाजिक नेवई (न्याय) पंच त्रिस्तरीय हो, जिसका स्वरूप इस प्रकार हो –

(क) पद्दा पंच्चा (सामाजिक ग्रामसभा) – यह ग्राम स्तर पर होता है।

(ख) पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा) – यह उरांव समाज में पड़हा स्तर पर होता है।

(ग) बेःल पंच्चा (बेःल समूह की सभा) – यह की पड़हा बेल अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 या 9 पड़हा बेल मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार शामिल होते हैं।

यहां पद्दा का अर्थ गांव है। परम्परागत रूप से सभी उरांव गांव में एक अखड़ा है, जहां करम पुजा (पुजा का अर्थ पूरआ गे उःजना समझा जाता है) होता है, एक चाःला थान (सरना स्थल), एक देबीगुड़ी थान (देवी स्थल) और गांव का मसना सामूहिक तौर पर हुआ करता है, परन्तु किसी गांव का टोला में सरना या देवीगुड़ी नहीं होता है। गांव में टोला बढ़ने से देव–पितर का बंटावारा नहीं हुआ है, पर वहां पर चढ़ाए गये जल और फूल का बंटवारा हुआ करता है। वर्तमान समय में खशकर शहरी क्षेत्रों में, इन मुद्दों में भी बदलाव हुआ है। शहर में समाज का

समूह छुट गया और समूह छुटने से सामुहिकता और सामूकि व्यवस्था में विखराव हुआ और उरांव समाज के लोग दूसरे संगठित आस्था–विश्वास वाले समूह के संगत में चलते चले गजाने लगे।

पंच्चा का अर्थ उरांव समाज में सामाजिक न्याय प्रणाली है। इसका संबंध पचा और पचोरा से है जो पंचनामा के अर्थ से आंशिक तौर पर समझा जा सकता है। हिन्दी का पंचनामा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना है। परन्तु पद्दा पंच्चा या पड़हा पंच्चा या बेल पंच्चा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना तथा सामाजिक न्याय करना एवं दण्ड विधान निर्धारण करना भी है।

पंच्चा शब्द के साथ कई गाना उरांव भाषा में गाया जाता है –

1. पंच्चा ननो बाःरी गमय–गोसोय मननय,
   पंच्चा ननो बाःरी गमय–गोसोय मननय।
   किस्स अहड़ा मोःख़ो बाःरी लब्ब–लब्ब मननय,
   किस्स अहड़ा मोःख़ो बाःरी लब्ब–लब्ब मननय।

भावार्थ – यह महिलाओं द्वारा पुरूषों पर सामाजिक न्याय के दौरान उठती भावनाओं पर टिप्पणी है।

2. पंच्चा भईयर बअ़दी कोय पेलो,
   पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।
   हेओर दरा लवओर कोय पेलो,
   पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।
   अखड़ा नू संगे निंगहय बेःचोन कोय पेलो,
   पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।

भावार्थ – एक प्रेमी, अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और उसका साथ के लिए के लिए सज्ज है।

3. बेल झण्डा चोःचा गुचा सपड़ारआ।
   कन्ना–बलम धरआ गुचा बिसुसेन्दरा।
   पड़हा पंच्चा चोःचा गुचा सपड़ारआ,
   बेल पंच्चा ओक्का गुचा बिसु टोंका।

भावार्थ – यह वीर रस वाली बाल कविता है। बच्चों के बीच इसे सामाजिक जागरण हेतु गाया जाता है।

इस प्रणाली में गांव के किसी शिकायत पर पहले **पद्दा पंच्चा/ग्राम सभा** के सामने लाया जाता है। उसके बाद यदि ग्रामसभा के निर्णय पर स्वीकार न होने पर वह मामला पड़हा के बीच पंहुचता है और वहां **पड़हा पंच्चा** में गलती पाये जाने पर जुर्माना किया लाता है।

न्न्यायालय व्यवस्था का किसी मामले को समीक्षा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में उरांव समाज ग्राम सभा के मामले की समीक्षा प्रथम स्तर पर पड़हा में करता है और उससे उपरी समीक्षा स्थल बिसुसेन्दरा है। पर त्वरित एवं पारदर्शी न्याय के लिए दूसरी व्यवस्था को परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो में बेल पंच्चा न्याय पंच को स्वीकार किया गया है जिसे **बेल पंच्चा** कहा जाता है। यहा शिकायत आने पर कई पड़हा के पड़हा बेल अपनी टीम कं साथ सुयुक्त रूप से निर्णय लेते है।

इसी संदर्भ में दिनांक 31.05.2022, दिन मंगलवार को डॉ० नारायण उराँव, सैन्दा, सिसई (गुमला), अपने वकील मित्र श्री बिन्देश्वर साहू (वकालत परिसंघ, गुमला) के साथ पारम्परिक उराँव समाज के सामाजिक एवं वैधानिक

समस्याओं के संबंध में विमर्श करने हेतु गुमला कचहरी (झारखण्ड) में विधि प्राधिकार के जानकारों से मिले। डॉ० नारायण एवं विधि प्राधिकार के जानकारों की बातें हुई। डॉ० नारायण ने सामाजिक मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि – ''पारम्परिक एवं रूढ़ीगत व्यवस्था के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की सामाजिक समस्याएँ कोर्ट–कचहरी में सुनी नहीं जाती है। प्रश्नोत्तर में महोदय बोले कि कोर्ट या प्राधिकार, शिकायत की सुनवाई करता है, कोई नया नियम नहीं बनाता है। यदि कोई शिकायत हो तो कोर्ट या प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधि सेवा दिया जाएगा और यदि सामाजिक हित में कोई नया नियम बनाने की बात हो तो समाज के लोगों को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्यपाल के पास जाना चाहिए। कोर्ट या न्यायालय, संविधान सम्मत तथ्यों के आधार पर शिकायत का निपटारा एवं न्याय करता है।

उक्त तथ्यों की जानकारी के बाद, परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि अपने समाज में हुए शिकायत को बैठकर लिखा–पढ़ी के साथ अभिलेख तैयार करते हुए कार्य किया जाएगा। इसके लिए, परिवाद यदि परिवार स्तर पर न सुलझे तो रूढ़ी–परम्परा के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।
परम्परा के अनुसार वाद या परिवाद को निमलिखित तरीके से कार्य किया जाना चाहिए –

1. सर्वप्रथम वाद या विवाद पद्दा सबहा/ग्राम सभा में आये तो, **पद्दा पंच्चा/ग्रामसभा** द्वारा दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष के बातों को गवाहों के सामने सुनकर तथा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। गवाह पंचगण होंगे। पद्दा पंच्चा अथवा ग्रामसभा की अध्यक्षता, रूढ़ी–प्रथा के अन्तर्गत कार्यरत संबंधित गांव का पहान द्वारा अथवा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाएगा।
2. यदि **पद्दा पंच्चा/ग्रामसभा** में किसी मामले का निपटारा न हो तो यह मामला पड़हा में जाएगा। उस पड़हा के लोग (जिसमें 3, 5, 7, 9, 12, 22 गांव जो बुनियादि पड़हा में एक साथ रहता आया हो) **पड़हा पंच्चा** का बैठक में निर्णय करें। पड़हा पंच्चा की अध्यक्षता, पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिखित कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज हो।
3. यदि एक बुनियादि पड़हा स्तर पर मामले का निपटारा न हो तो यह मामला अपने पड़ोसी निकटवर्ती सहयोगी पड़हा (3 या 5 या 7 या 9 पड़हा समूह के बेल, अपने सहयागियों के साथ) **बेल पंच्चा** करें और निर्णय लें। बेल पंच्चा में सबहा की अध्यक्षता, आवेदक द्वारा प्रस्तावित पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के सामने लिखित हो। इन तीन बैठक के निर्णय से यदि वादी या प्रतिवादी असंतुस्ट हों तो वे न्यायालय या बिसुसेन्दरा में मामले को ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इस तरह, परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 एवं टाटा स्टील फाउण्डेशन के तकनीकी सहयोग से अद्दी अखड़ा, रांची संस्था द्वारा 2023 में समीक्षा कराकर फरवरी 2024 को प्रकाशित किया है। इसका ऑनलाईन प्रकाशन kurukhtimes.com पर https://kurukh/node/377 के पर उपलब्ध है। पूर्व में भी परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2022 द्वारा लिया गया निर्णय ऑनलाईन प्रकाशन kurukhtimes.com पर https://kurukh/node/285 के पर उपलब्ध है। इसके पी.डी.एफ. रूप को kurukhtimes.com से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

आलेख – डॉ नारायण भगत,
विभागाध्यक्ष, कुँड़ुख़ विभाग,
रांची विश्वविद्यालय, रांची।
दिनांक – 30 अप्रील 2024
मो0 न0 – 8521458677

7. परम्परागत उराँव आदिवासी समाज की अवधारना एवं अध्यात्मिक मान्यताएँ

— डॉ० नारायण उराँव 'सैन्दा', डॉ० ज्योति टोप्पो एवं गजेन्द्र उराँव

साधरणतया, लोग कहा करते हैं — आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। इनका कोई आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। इनका विश्वास एवं धर्म अपरिभाषित है। ये पेड़—पोधों की पूजा करते हैं .... आदि, आदि। इस तरह के प्रश्नों एवं शंकाओं को प्रोत्साहित करने वालों से अगर पूछा जाय — क्या, वे अपने विश्वास, धर्म आदि के बारे में जानते और समझते हैं ? यदि इस तरह के प्रश्न करने वाले सचमुच अपने विश्वास, धर्म के बारे में जानते हैं, तो उनके द्वारा आदिवासियों के बारे में इस तरह के लांछण लगाये जाने का औचित्य नहीं है और यदि उन्हें अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते है तो उन्हें समझाया जाना भी आसान नहीं है।

वैसे अध्यात्म एक गूढ़ विषय है जिसकी गहराई तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। मुझे अध्यात्म जैसे गूढ़ विषय पर तनिक भी पकड़ नहीं है फिर भी प्रस्तुत शीर्षक के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे वौद्धिक और वैचारिक अवमूल्यन के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। ध्यातव्य हो कि आदिवासी परम्परा में भी अध्यात्म की सारी बातें थीं और हैं, किन्तु सरसरी नजर से देखने पर पेड़—पौधे नजर आयेगें। आध्यात्मिक अवधारना में सबसे अधिक जरूरी है ईश्वर की परिकल्पना एवं मान्यता। दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है आत्मा या अन्तर्रात्मा। विद्वत्तजनों का कहना है कि आत्मा का परमात्मा के साथ आत्मिक संबंध जोड़ना ही आध्यात्मिकता का सार है। इस परिपेक्ष्य में प्रश्न उठता है — क्या, आदिवासी विश्वास, धर्म में ईश्वर की परिकल्पना है अथवा नहीं ? उसी तरह आत्मा के संबंध में आदिवासियों की मान्यता किस प्रकार है ? इन तथ्यों को समझने के लिए परम्परागत उराँव (कुँडुख़) आदिवासी समाज में प्रचलित अनुष्ठानों एवं अवधारनाओं पर गौर किया जाना चाहिए तथा कुँडुख़ (उराँव) भाषा की निम्नांकित शब्दावली पर मनन—चिंतन किया जाना चाहिए :—

1. धरमे / [illegible] :— एका सवंग सँवसेन धर'ई आःदिम धरमे अरा एका सवंग धरना जोःगे रअ़ई आःदिम धरमे अर्थात वह शक्ति जो समस्त सृष्टि को संचालित करती है तथा वह शक्ति जो अनुकरण करने योग्य है, कुँडुख़ में धरमे (ईश्वर) का यही अर्थ है। धरमे बि'ई। धर (धरना) + मे (मेरख़ा ती)।

2. धरती अयंग / [illegible] :— धरती अयंग। धरती अयंग बि'ई। धरती माता।

3. धरमी सवंग / [illegible] :— धरमे सवंग तरती चाजरका नेम्हा सवंग। धरमी सवंग बि'ई।

4. सँवसिरा / [illegible] :— सँवसे + सिरा = सँवसिरा (प्रकृति)। सँवसे = समस्त, सिरा = मूल स्थान। ख़ज्ज अरा ख़ेःख़ेल नु तंगआ ती सिरजारना दरा ख़ोःरना सवंग अड्डा। ई ख़ज्ज अरा ख़ेःख़ेल (सृजन का मूल श्रोत अर्थात सृजन करने वाली धरतीं एवं उसके अवयव) नु सिरिजतारना अरा सिरिजताअ़ना सवंग अड्डा। चिच्च, चेंःच, ताःका, धरती, अकास उरमी सवंग सिरिजतु'उ सवंग गही सिरिजताअ़ना सवंग तली। वह जो मानव द्वारा निर्मित न हो। सिरासिता = सिरा + सिता। सिरा = कुक्क अड्डा, मूल स्थल, सिता = सिर—सिरता सोता। सिरासिता = सिर—सिरता सोता गही उपचन अड़डा।

5. मय्हदेव / [illegible] :— मया ननु (मया—दया करने वाला) देव, मय्याँ ता देव (उपर वाला दैवीय षक्ति) मय्हा (दयालु) देव। मय्हदेव्स बेअ़दस। माःह'उ देव। ईद मया ननु अरा माःह'उ देव ती मय्हदेव मंज्जकी बि'ई। वेदों में महादेव शब्द नहीं है। यह शक्ति स्वरूप है, शरीरधारी नहीं।

6. परबईत / [illegible] :— परबस्ती ननु (पालन—पोषन करने वाली) मया (माया)। परबईत बी'ई।

7. चन्ददो—बीःड़ी / [illegible] :— प्रकृति में सूर्य, उर्जा एवं प्रकाष का षाष्वत श्रोत है।

8. करम देव / [illegible] :— करम पूजा में, करम के देव स्वरूप की पूजा होती है। कहीं भी हे करम पेड़ या करम डाली कहकर पूजा नहीं होती है। करम देव या करम राजा कहकर पूजा होती है। नाम के जाप में शक्ति स्वरूप का आह्वान किया जाता है।

9. चाःला अयंग / [illegible] – चाल चिअ़उ अयंग। सरहुल के दिन पेड़ की छाया में, चारो दिशा में रूख कर पूजा होती है किन्तु आह्वान् एवं मंत्रोचारण में किसी पेड़ के नाम से पूजा नहीं होती है। वहाँ पर धरमे एवं धरमी सवंग अर्थात ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियों की पूजा होती है।

10. देबी अयंग / [illegible] :– दव ननु मेःद मलका मुक्का छाव नु संगरा चिअ़उ सवंग (बिना देहधारी, महिला रूप में अच्छाई करने वाली षक्ति स्वरूपा)। देवाँ बि'ई। देवाँ+बी'ई = देबी। देबीगुड़ी = देबी सवंग गुँडुरका अड्डा। देवाँ = Good spirit (in Ho Language also).

11. पुरखा–पचबल / [illegible] :– पांच पीढ़ी तक के पूर्वज। कुँडुख़ परम्परा में मृत्यु के पश्चात् शरीर को दफनाया/जलाया जाता है तथा मृतक की आत्मा को एःख़ मंक्खना (छाया भितराना) अनुष्ठान कर घर में स्थान दिया जाता है तथा उस आत्मा को पूर्वजों की आत्मा के साथ सम्मिलित होने या उस मृतक की आत्मा के लिए पूर्वजों के नाम पर अनुष्ठान किया जाता है। साथ ही विभिन्न अवसरों पर उनके नाम से तर्पन एवं भोग दिया जाता है। उराँव लोगों की मान्यता है कि ईश्वर एवं उनके पूर्वज हमेषा उनकी मदद एवं देखभाल करते हैं।

12. जिया / [illegible] :– हँास, आत्मा, अन्तर्रात्मा। जिया दिम उंग्गी अरा जिया दिम पुल्ली। कुँडुख़ परम्परा में धरमे सवंग (सर्वशक्तिमान ईष्वर) एवं जिया सवंग (अन्तर्रात्मा) सिर्फ इन्ही दो तत्वों को उंग्गु सवंग अथवा सामर्थ्यवान कहा गया है।

13. देव / [illegible] :– दव ननु मेःद मलका आल मलता आःलो छाव नु संगरा चिअ़उ सवंग (बिना देह–षरीर के मानव या मानवेतर रूप में अच्छाई करने वाली शक्ति)।

14. नाद / [illegible] :– नंद'उ मलता नंदना ननु सवंग (विनाश करने वाला या कष्ट देने वाला)। कुँडुख़ जीवन में कुछ लोग अपने हिस्से की सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति और ताकत अर्जित करने के लिए जीवात्मा या भटकती हुई आत्मा की साधना कर अपने वष में करते हैं तथा दूसरे को दुख पहुँचाने में उस नाद की मदद लेते हैं।

15. पद्दा / [illegible] :– गाँव। एकअम आःलर ही पाःदा अड्डा दिम पद्दा तली। पद्दा पंच्चा :– ग्रामसभा। पद्दा–पल्ली, पद्दा–पाट, पद्दा पचोरा, पद्दा पहटा, पद्दा पंच।

16. एड़पा / [illegible] :– घर। एकदद तंगहय उला एड़'ई अरा ओहारी ननी। लूरएड़पा :– लूर गे ईड़'उ एड़पा। मूली–एड़पा, मण्डी–एड़पा, कोठा–एड़पा, खुपी–एड़पा, जोंःख़–एड़पा, पेल्लो–एड़पा।

17. अखड़ा / [illegible] :– अ+ख+ड़ा। अख़ना + खटना + पाड़ा (अख़आ गे खटना पाड़ा/ज्ञान के लिए श्रम करने तथा निर्णय करने का सामुहिक स्थल)।

18. धुमकुड़िया / [illegible] :– धुम–तअ़ कुड़िया, धुम्म–धुम्म कुड़िया। धुम–तअ़ नलना बेःचना अख़ना अड्डा (एक बुजुर्ग अपने नाती–पोते से बोला करते हैं, गुचा नतिया धुम–तअ़ बेःचा। अर्थात बचपन में अनुशासित तरीके से खेल–खेल में जीवन जीने का तरीका सीखना और सिखलाना), कुड़िया का अर्थ छोटा घर या केन्द्र अथवा सेन्टर। अभी भी गांव में जब लड़के–लड़कियाँ अच्छे से नाच–गान करते हैं तो बुजुर्ग बोला करते हैं – इन्ना गा जोंःख़र–पेल्लर अकय दःव बिच्चयर, धुम–धुम ख़रखा लगिया। इसी तरह लड़के–लड़कियाँ जब मौसम के अनुरूप नाच–गान नहीं करते हैं तो बुजुर्ग वर्जना करते हैं – नीःम जोंःख़र–पेल्लर दःव मल बेःचा लगदर, धम्म–धुम्म ख़रखा लगी। धुमकुड़िया का अर्थ धुमसाःरना कुड़िया है अर्थात वैसा केन्द्र जहाँ से लोग विशिष्ट युवा के रूप में तैयार होकर निकलें।

19. पड़हा / [illegible] :– पड़ा (गाँव का समूह क्षेत्र) नु पाःड़ा अरा पड़ा नुम पड़गरआ। पड़हा का कार्य खून एवं वंष की षुद्धता बनाये रखना एवं सुरक्षा करना रहा है।

20. बिसुसेन्दरा / [illegible] – बसा नना गे सेन्दरा। परम्परागत उराँव (कुडुख़) समाज में प्रत्येक वर्ष बईसाक में बिसुसेन्दरा हुआ करता था। बि = बिहनी, सु = सुसर ननना। सेन्दरा = सेन्दरा। बिसुसेन्दरा = बिहनिन सुसर ननना गे सेन्दरा।

21. कुडुख़ / [illegible] :– कुड़ना + अख़ना ती कुडुख़ मंज्जा। (ओःरे नु कुड़ना–मोःखना अख़'उर, कुड़ख़र बाःतारर अरा आःरिम नन्नारिन हूँ सिखाबाःचर।

कुड़ना–मोःख़ना अख़कत ख़ने कुँड़ख़त, कुड़ना–मोःख़ना अक्खर ख़ने कुँड़ख़र, कुड़ना–मोःख़ना अख़कन ख़ने कुँड़ख़न, कुड़ना–मोःख़ना अख़कम ख़ने कुँड़ख़म, कुड़ना–मोःख़ना अख़कय ख़ने कुँड़ख़य। (आदिकाल में किसी जंगल में सूखे बाँस के आपसी घर्षण से चीं ..... चीं .... चीं .... चीं . .. की आवाज निकलते–निकलते जो अद्‌भूद दृष्य (दावानल) नजर आया वह कुडुख़ भाषा में चीं .. चीं .. से चिच्च (अग्नि) कहलाया और जो अवषेष बचा वह चिन्द (राख) कहलाया। वह चिच्च से पूरा जंगल जलने लगा और पशु–पक्षी मरने लगे। चीं .. चीं .. से चिच्च कहने वाले लोग उन अधजले मांस को खाये और बाद में जानवरों के कच्चे मांस को आग में सेंककर खाने की विधि की खोज की तथा दूसरे समूह को भी सिखलाया। इस समूह द्वारा आग एवं आग में सेंककर खाने की विधि की खोज ने पूरे मानव समाज के जीने का तरीका बदल दिया और उनकी भाषा में वे कुड़ा अख़'उ यथा कुड़ा मोःख़ा अख़'उ से कुडुख़ कहलाये। आषय है, कुडुख़ पुरखे, आग एवं आग में कच्चे मांस को सेंक कर खाने की विधि की खोज किये और उन्हीं के द्वारा दूसरे लोगों तक पहूँचा। इस तथ्य को व्यवहार में रखने हेतु कुँड़ख़ पुरखों ने डण्डा कट्‌टना अनुष्ठान में ईष्वर के नाम से समर्पित चढ़ावे यानि अण्डा को आग में तपाकर (अतख़ा नु कुड़अर) उपस्थित पुरूषों के लिए प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है, तत्पष्चात ही पूजा संपन्न होता है।) अर्थात कुँडुख़ पूर्वजों ने ही अग्नि की खोज की और कच्चे मांस को पकाकर खाने सीखा तथा दूसरों को भी सिखलाया।

22. उराँव / **[illegible]** :– उयुर (हल चलाकर खेती करने वाले) + आँवा (घेराबंदी करके आग से जलाकर संजगी अथवा खेत तैयार किया जाना) – उराँव (हल चलाने वाले तथा घेराबंदी कर आग से जलाकर खेत तैयार करने वाले), उयुर गही गण – उरागण – उरागण ठकुर (उराँव राजघराना)। उर + आँव = उराँव – उरबस गही आँवा ती बछरका आःलर (ईष्वर की अग्नि वर्षा से बचे हुए लोग)।

23. ओल्लगी / **[illegible]** :– ओंग्गना उलता अरा ओलता सवंगन लग्गना। कुँडुख़ संस्कृति में अभिवादन करते समय दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाते हुए ओ'लगी कहा जाता है या बाँया हाथ से दाहिना हाथ को केहुनि से थोड़ा नीचे स्पर्ष करते हुए दाहिना हाथ को उठाकर षीष नवाते हुए ओ'ल्लगी कहा जाता है। ओलगी का शाब्दिक अर्थ ओंगगनन लग्गना अर्थात सामने वाले व्यक्ति के अन्दर के सामर्थ्यवान को नमन करना। कुँडुख़ अध्यात्म एवं विष्वास में उंग्गु सवंग दो शक्ति को माना गया है – 1. धरमे सवंग (सर्वशक्तिमान) 2. जिया सवंग (अन्तर्रात्मा)। अभिवादन करते समय सामने वाले व्यक्ति के अन्तर्रात्मा को नमन किया जाता है।

24. साःरना / **[illegible]** :– एम्मबा साःरना, कीःड़ा साःरना, उम्हें साःरना – महसूश करना, आत्मसात करना, to feel & realised, to relate इत्यादि।

25. सरना / **[illegible]** :– स + र + न + आ । 'सिरजनन रम्फ ननु आःलोन साःरना दिम सरना। ' सरनन साःरना दिम सरना। साःरना = महषूस करना, अनुभूति, to feel & realise.

सरना = सर + ना। सरना गही 'सर' बक्कमूली ही माने हिन्दी नु गतिमान अरा अंगरेजी नु mobility मनी। कुँडुख़ नु नलख सरना गही माने एकअम छेका–छछंद (विग्घन–बाधा) मझी नु हूँ आ नलख ही बेड़ा सिरे मुंजुरना अख़तार'ई। ई लेखा ई सँवसिरा (प्रकृति) नु सिरिजारका उरमी दिम तंगआ डींड़ ताँड़का बेसे तंगआ बेड़ा अरा उल्ला खेप'ई। इस तरह जहाँ गति है वहाँ जीवन है और जहाँ जीवन है वहाँ गति है। ख़द्‌दी उल्ला चाःला टोंका नु पुजा–धजा ननना अरा मनना नु पद्‌दा सिञा ता उरमी आल–आःलो ही दव कुना उज्जा–बिज्जा अरा उल्ला खेपआ गे ओहरा–बिनती ननतार'ई। इदी गे धरमे अरा धरमी सवंग ती गोहरारना मनी का तंगआ पद्‌दा सिञा ता सँवसे सिरजन–बिरजन दव कुना उल्ला खेपअन नेकआ अरा मलदव आःलो पददा सिञा तरा अम्मबन कोरअन नेकआ। ई सँवसिरा नु ख़ेख़ेल, मेरख़ा, ताःका, चिच्च, चेंःप (पृथ्वी, आकाष, हवा, अग्नि, पानी) उरमी दिम सवंग बि'ई। अर्थात सरना मात्र पूजा स्थल भर नहीं, बल्कि सरना एक परम्परागत आदिवासी जीवन पद्धति का सारांष है। पेड़–पौधा, जंगल–पहाड़ इत्यादि आदिवासी जीवन में एक गुरू एवं आराध्य का प्रतीक है। 'सरना आदिवासी धरम' का यही कुँडुख़ मूलमंत्र है।

झारखण्ड के आष्ट्रिक मुण्डारी भाषा परिवार के अनुसार सरना शब्द का संबंध सारजोम से है। सरना समाज में सरना और सारजोम का संबंध अटूट है। सरना समाज, सारजोम को त्यागते ही अपने पथ से भटक जाता है। सारजोम को आस्था का केन्द्र बनाया जाना दूसरे धर्म में नहीं है।

26 सँवसर / [illegible] :– सँवसे + सर = सँवसर। सँवसे = समस्त, सर = गतिमान, प्राकृतिक। किसी भी स्थापित धार्मिक आस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करने वालों के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ''आदि आस्था'' से जुड़े हुए हैं। आदिवासी समाज में खाशकर कुँडुख़ समाज में सर = गतिमान अथवा प्रकृति के अर्थ में सर से सरना या सर + हूल = सरहुल शब्द का प्रचलन, व्यापक हुआ है। माँ के कोख से जन्म लेने के बाद बप्तिस्मा लेकर ईसाई हुआ जाता है। इसी तरह ईस्लाम को मानने के लिए अल्लाह, कुरआन शरीफ और पैगम्बर मोहम्मद को कबूल करना पड़ता है। इसी तरह हिन्दु कहलाने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था तथा जीवन शैली को स्वीकार करना पड़ता है। पर सँवसर कहलाने वाले वैसे लोगों का समूह है जो जन्म से ही, अपनी प्राकृतिक दशा में हों।

27. सिरासिता – सिरा = कुक्क, उपचन, उद्‌गम। सिता = सिर–सिरता सोता।

28. नैगस – नेग ननुस, नेगचार करनेवाला।

29. पुजरस – पुजा ननुस, पूःरआ गे उःजूस।

30. माहतोस – माःहआ ननुस, माःहअर उय्‌युस।

31. बःर बबुस – बरचका बबुस। बःर चिउ'स।

32. कनियाँ मइयाँ – कनि + याँ (सियाँ)। कनि = प्रिये जन, अति प्रिये, कनिष्ठा अंगुली। तीर का पिछला धारदार हिस्सा। सियाँ = जन्म के परिवार से अलग एवं दूर में प्यार की रिस्तेदारी स्थापन हेतु।

33. मेदनेंव – शरीर की विशिष्ट अवस्था, प्रकृति एवं गुण की पहचान आधार, Gender, लिंग।

34. पंच्चा – पंच्चा ननना, (समूह में बिना मजदूरी का मदईत करना)। पंच्चा ओक्कना (समूह में बिना मजदूरी बैठकर निर्णय करना)। हिन्दी में पंचनामा का अर्थ पंच लोगों द्वारा साक्ष्य संग्रह करना होता है। जबकि पंच्चा ओक्कना का अर्थ समूह में साक्ष्य संग्रह करना तथा न्याय देना एवं दिलाना दोनों साथ होता है। उराँव समाज में पंच्चा ओक्कना के प्रकार –(क) पद्दा पंच्चा = गांव की सबहा। (ख) पड़हा पंच्चा = पड़हा गांव की सबहा। (ग) बेःल पंच्चा = कई पड़हा बेःल की सबहा। Belpanchcha is Jury Unit of Bisusendra).

35. धरमे, धरती अयंग अरा धरमी सवंग / [illegible] :– सर्वशक्तिमान ईष्वर, धरती माता (प्रकृति) एवं ईश्वरीय प्रेरणा श्रोतक शक्तियाँ (दृश्य–अदृश्य शक्तियाँ) आदि को त्रिशक्ति को आधार मानकर, आह्वान किया जाता है।

36. बेंज्जा / [illegible] :– बन्दा बेसे बांजरना गे इंजिरना दिम बेंज्जा बि'ई। बिंज्जुर'उर + बिंज्जुर = बेंज्जा। बेंज्जा के प्रकार – (i) मड़वा–कँड़सा बेंज्जा (मरजईद बेंज्जा) (ii) अतख़ा पण्डी बेंज्जा (iii) संगहा बेंज्जा (सगई बेंज्जा) (iv) खोंड़हा मझी ता ढुकू–ढरा बेंज्जा (v) Special marriage Act (कोर्ट बेंज्जा)।

37. बिहउड़ी / [illegible] :– बिंज्जुर गही हउड़ी = बिहउड़ी । बिंज्जुर = शादी करवाने वाले। हउड़ी = हउड़ाअ़ना ती हउड़ी मंज्जकी बि'ई। अर्थात शादी करवाने वालों द्वारा खोज–खब़र लेना। बेंज्जा एक पारिवारिक एवं सामाजिक रिस्ता है। किसी परिवार का शादी विच्छेद होने से सामाजिक जिम्मेदारी भी आहत होती है, इसलिए शिकायत होने पर समाज के लोग (शादी में भागीदार हुए लोग) खोज–खबर लेते हैं अर्थात हउड़ी करते हैं।

38. बिउड़ही / [illegible] :– बिउड़ही = विवाह विच्छेद (तलाक)। बिउड़ही (बिंज्जुर गही उड़हीयाचका) = विवाह कराने अर्थात समाज के पंच्चो द्वारा स्वतंत्र किया हुआ)।

39. कोंयछंदा / [illegible] :– कोंयछंदा ख़द्‌द = कोंयछा नु छंदचका ख़द्‌द। कोंयछा का अर्थ माँ के आंचल का थैला), छंदा (छंदचका), कोंयछंदा ख़द्‌द (गोद लिया हुआ बच्चा)।

40. उरागन / [illegible] :– उयुर गही गन। खेती–किसानी करने वाले समान विचार वालों का समूह। रूईदास गढे नु कुँड़ख़र उरागन ठकुर हूँ बातारआ लगियर। मुण्डा समाज ही पुरखौती बेवस्था नु मानकी, मुण्डा, पाँड़े, ठकुर बअ़अर पदवी चितारकी र'ई। मना उंग्गी का राःजी चलाबअ़ना ती ठकुर धतम हिन्दी ता ठाकुर बेसे मंज्जा केरा होतंग। रूईदास नु गा कुँड़ख़र गही बेलजद्‌दी रहचा। अवंगेम कुँड़ख़र उराँव अरा उरागन ठकुर हूँ बातारर।

41. डली फड़ियाअ़ना / [illegible] — बेंज्जा चिअ़ना डँड़ियाअ़ना। डली झोकना / [illegible]। डली किरताअ़ना / [illegible] डली ढिबा, वधु मुल्य नहीं है। इसे वधु मूल्य या bride price न समझा जाय। कोहाँ पाःही के अवसर पर मयसरी और डली ढिबा तय होता है। यह ceremonial gift अथवा उपहार है। डली फड़ियाअ़ना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह समाज के लोग तय करते हैं, यह प्रथा है।

42. मयसरी ([illegible]) — मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँड़ुख़ भाषा के अनुसार नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि शादी शब्द को अरबी मूल का माना गया है।

43. जतरा / [illegible] :— ज + त + रा = जतरा। ज — जतनअ़ना, जतनआ गे, त — तं गआ ती, रा — राइबड़ी, राँफ। अर्थात जतनआ गे (संजोकर रखने के लिए), तंगआ ती (स्वयं शामिल होकर), विचार देना या प्रकाशित करना। अर्थात समाज के अंदर का राग, रंग, जीवन संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज इत्यादि के बचाने के लिए उक्त तरह से कार्य करने की आवश्यकता है। जतरा के कई प्रकार हैं। 1. पड़हा जतरा 2. पद्दा जतरा। जंमीदारी व्यवस्था आने के बाद कई गांव में दरबारी जतरा भी लगने लगा था।

44. मईख़ना / [illegible] :— मई गही ख़ेंःस काःना = मासिक धर्म, mentruation। कहा जाता है — 12 बछरे बईनी सिंगार, बईनी जिया पेल्लो मंज्जा। 12 चन्ददो 13 मईख़ना, मईनी कोरओ अक्कु धुमकुड़िय ा पेल्लो एड़पा।

45. देशी आस्था / [illegible] / Indigenous faith :— झारखण्ड स्वतंत्र धर्म अधिनियम 2017, दिनांक 11 सितम्बर 2017 को झारखण्ड सरकार, विधि विभाग द्वारा अधिसूचित है। इस अधिनियम में कहा गया है कि — कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा बलपूर्वक, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन के द्वारा एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित नहीं करेगा या करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही ऐसे धर्मान्तरण का दुश्प्रेरण करेगा।

झारखण्ड स्वतंत्र धर्म अधिनियम 2017 के कंडिका 2(च) में कहा गया है — ''ऐसा धर्म, विश्वास एवं परम्पराएँ जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकाण्ड, पर्व—त्योहार, अनुशरण, प्रदर्शन, वर्जना, प्रथाएँ जैसा कि झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति समुदायों के द्वारा स्वीकृत, मान्य तथा व्यवहार्य है, जब से ऐसे समुदाय जाने जाते हैं।''

यहाँ प्रश्न है कि क्या झारखण्ड सरकार, परम्परागत आदिवासियों के आस्था—विश्वास को स्वीकार करती है तथा किसी नाम से जानती है ? इसका उत्तर है — हाँ। झारखण्ड सरकार, झारखण्ड के परम्परागत आदिवासियों के आस्था—विशवास को देशी आस्था (Indigenous faith) कहती है। आदिवासी समाज का सुझाव — देशी आस्था नाम को सुधार कर ''आदि आस्था'' रखा जाना चाहिए।

46. सरना आदिवासी धरम / [illegible] :— दिनांक 11.11.2020 को झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड के आदिवासियों की परम्परागत आस्था एवं धार्मिक विश्वास को नाम दिये जाने तथा जनगणना सूची में धार्मिक आस्था कॉलम में शामिल किये जाने की वर्षों से लंबित मांग को पर सरना आदिवासी ध ारम नाम को सर्वसहमति से पारित किया और केन्द्र सरकार को जनगणना 2022—23 में धर्म कॉलम में शामिल करने हेतु भेजा गया। वैसे केन्द्र सरकार द्वारा इसे मान्यता नहीं मिला है।

इस तरह यह तथ्य है कि आदिवासियों की अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति—रिवाज, परम्परा, धर्म, अनुष्ठान इत्यादि सभी चीजें हैं। जरूरत है इसे समझने और आत्मसात करने की। ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियाँ सबके लिए एक समान है। आवश्यकता है एक अच्छा पात्र बनकर अपनी अन्तर्रात्मा को परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की। एक सच्चा आदिवासी इस संबंध को स्थापित करने के लिए अपने कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक करने का प्रयास करता है। अध्यात्म का दरवाजा भी यहीं से खुलता है। अध्यात्म व्यक्ति को ईमानदार, नीतिवान, नैतिकवान और चरित्रवान बनाता है जिसकी आवश्यकता समाज को है।

संकलन एवं भाष्य —
डॉ० नारायण उराँव
डॉ० ज्योति टोप्पो
गजेन्द्र उराँव
दिनांक — 19. 09. 2024, मो०न० : 9771163804

8. आदिवासी समाज की विकास कहानी में पद्मश्री डॉ० रामदयाल मुण्डा के सुविचार एवं महिलाएँ

मैं डॉ० नारायण उराँव की जीवन संगिनी हूँ। हम दोनों मई 1992 में दाम्पत्य जीवन में बंधे। अपने विवाह से अब तक, 32 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है। इस बीच झारखण्ड अलगप्रांत आन्दोलन के दौरान आदिवासी समाज में कई उतार चढ़ाव का समय आया और अपना दस्तक देकर किनारा हो चला। इसी कड़ी में डॉ० रामदयाल मुण्डा जी के साथ डॉ० नारायण उराँव एवं उनके साथियों से हुई भेंटवार्ता का कुछ सामयिक अंश, आप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है –

**झारखण्ड अलग प्रांत आन्दोलन के पुरोधा पद्मश्री डॉ0 रामदयाल मुण्डा जी से मिलने उनके आवास पर 05 मई 1997 को डॉ0 नारायण उराँव, श्री विवेकानन्द भगत एवं श्री मंगरा उराँव पहुँचे। बातचीत के क्रम में डॉ0 उराँव ने डॉ0 मुण्डा जी से एक व्यक्तिगत सवाल किया – ''राउरे, मिनिसोटा यूनिवर्सिटी, अमेरिका कर नौकरी छोईड़ के राँची का ले आली ?'' इस प्रश्न पर, मुण्डा जी ने कहा – राउरे मन ई बात के नी बुझब ! जे खन हामर जगन प्रस्ताव आलक, जनजातीय भाषा विभाग कर अध यक्ष/निदेशक कर रूप में विभाग चलायक ले, से खन एके गो बात हामर मन में आलक कि एखने आपन देश, माटी आउर आदिवासी समाज कर श्रृण चुकाएक कर मोका हय। ई बेरा, झारखण्ड आन्दोलन के जगाएक कर बेरा हय। आउर इकर ले नवजवान मनकर ग्रेजुएट फौज तेयार करेक होवी। जोन खन हमर आदमी ग्रेजुएट होय जाबँय, से खन उ मन आपन बात बोलेक सीखबँय, तब अलग राईज कर आन्दोलन मजबूत होवी अउर नया राईज मिलले, उ मन राईज चलाय ले अगुवा बनबँय। एसन सोईच के हम अमेरिका कर नौकरी के छोईड़ के चईल आली। हियाँ आवल कर बाद झारखण्ड क्षेत्र कर दौरा कईर के 5 गो आदिवासी भाषा और 4 गो क्षेत्रीय भाषा के मिलाय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर गठन करल गेलक। अइसन में, झारखण्ड क्षेत्र कर लगभग सउबकर भाषायी प्रतिनिधित्व होवत रहे, आउर हमरे एहे लाइन में काम करेक लागली।

**झारखण्ड अलग प्रांत आंदोलन के विचारक एवं वरिष्ठ नेता पद्मश्री डॉ० रामदयाल मुण्डा कहा करते थे – जब ले आदिवासी समाज कर पड़हा, अखड़ा अउर धुमकुड़िया नी जागी संगहे अखड़ा नी गहजी तब ले आदिवासी मनकर उबार नखे। एखन कर बेरा में अखड़ा जगन धुमकुड़िया होवे अउर धुमकुड़िया में किताब–कॉपी, पुस्तकालय संगे कम्प्यूटर, समाचार पत्र, छोटमोट सर्दी–बुखार कर टिकिया संगे–संग मरहम पट्टी कर सामान भी रहेक चाही।

**एखन कर बेरा में आदिवासी मन के देश कर मुख्य धारा संगे जुड़के चाही, संगे संग आपन पूर्वज मनकर देवल भाषा संस्कृति के बचाएक और जोगाएक ले भी काम करेक चाही, तबे आदिवासी समाज कर विकास पूरा होवी।

**पूर्व कुलपति डॉ० रामदयाल मुण्डा जी के साथ दूसरी भेंटवार्ता 15 मई 1999 को हुई। इस भेंटवार्ता में डॉ० नारायण ने मुण्डा जी से प्रश्न किया कि – आने वाले समय में आदिवासी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए एक सर्वमान्य लिपि की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में यदि तोलोंग सिकि लिपि को आदिवासी भाषा की लिपि कहा जाता तो बेहतर होता। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले वे मुस्कुराये और बोले – ऐसा प्रश्न ठीक नहीं है। झारखण्ड क्षेत्र में तीन समूह की आदिवासी भाषाएँ हैं – (1) आष्ट्रिक भाषा समूह (2) द्रविड़ भाषा समूह तथा (3) आर्य भाषा समूह। द्रविड़ भाषा समूह वाले लोग तोलोंग सिकि का विकास कर लिये, इसके लिए द्रविड़ समूह वाले लोगों को बहुत–बहुत बधाई। अब दूसरे भाषा समूह वाले भी अपनी भाषा समूह के लिए, लिपि विकसित करेंगे।

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के अन्तर्गत दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 दिन शनिवार एवं रविवार को ग्राम : बटकुरी, थाना : भरनो, जिला : गुमला में 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गाव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी–परम्परा के अनुसार ''परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा'' सम्पन्न हुआ। बिसुसेन्दरा के अंतिम दिन महिलाएँ, पुरूषों का स्वागत लोटा में पानी और आम का टहनी–पत्ता लेकर कीं। महिलाओं को यह उम्मीद रहती है कि पुरूष गण अपने परिवार तथा समाज के लिए अच्छा निर्णय करके आये होंगे। इसबार बदते सामाजिक परिवेश में महिलाएँ, 9 फुदना वाला 9 पड़हा के, 7 फुदना वाला 7 पड़हा के तथा 6 फुदना वाला 6 पड़हा वाले गांव के महतो–पहान के लिए अईरपन–सिन्दुर लगाकर **''पड़हा खेवा डांग'' सौंपी और वे पुरूषों से आह्वान कीं – कि वे स्वयं समाज–परिवार के लिए जागें और बच्चों में शिक्षा का अलख जगाएँ, नशापान रोंकें तथा समाज में अनुशासन एवं देशप्रेम जगाएँ।

संकलन – डॉ० (श्रीमती) ज्योति टोप्पो उराँव
संस्कृत विभाग, गोसनर कॉलेज, राँची।

दिनांक – 12 फरवरी 2024

9. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2013 से 2023 तक का सामाजिक मुल्यांकन

वर्ष– 2013

दिनांक 22 एवं 23 मई 2013 को 22 गांव (9 पड़हा, 7 पड़हा एवं 5–6) के ग्रामीणों द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार पड़हा–बिसुसेन्दरा का बैठक किया गया। बैठक में 9 पड़हा करकरी–अताकोरा, 7 पड़हा चैगरी–शिवनाथपुर तथा 5–6 पड़हा महादेव चैगरी–लोंगा के परम्परागत पड़हा बेल, देवान, करठा, कोटवार तथा पहान, पुजार, महतो सहित गांव के महिला–पुरूष एवं नवजवान के उपस्थिति में ग्राम सैन्दा, सिसई, गुमला में किया गया। इस बैठक में गांव की सामाजिक व्यवस्था का संचालन एवं कठिनाईयाँ विसय पर चर्चा हुआ। बैठक में समाज के लोगों के सामने कुँड़ुख भाषा और तोलोंग सिकि लिपि के पठन–पाठन की जानकारी दी। उपस्थित जन समूह ने इसे सहर्स स्वीकार किया और इसे समाज द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाये जाने के लिए सहमत हुए।

वर्ष– 2017

दिनांक 20 एवं 21 मई 2017 को 52 पद्दा ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा सम्मेलन, ग्राम : दुम्बो, भरनो, गमला में सम्पन्न हुआ जिसमें गाँव के प्रतिनिधियों के साथ (दायें से) पूर्व विधायक श्री समीर उराँव, श्री लोहरा उराँव, श्री अरविन्द उराँव, डा. नारायण उराँव, पूर्व षिक्षा मंत्री श्रीमती गीताश्री उराँव एवं श्रीमती रेवा किसलय जी।

वर्ष– 2019

दिनांक 05.05.2019 दिन रविवार को, परम्परागत कुँड़ुख़ समाज का 22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा का 2 दिवसीय सम्मेलन ग्राम : लंगटा पबेया, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं परम्पारिक ग्रामीण पुजारी महतो, पहान पुजार उपस्थित थे। बिसु सेन्दरा आयोजन समिति के कोटवार श्री गजेन्द्र उराँव, विगत 9वें वर्ष अपने सहयोगियों के साथ लगातार करते आ रहे हैं। इस अवसर पर अद्दी अखड़ा, संस्था के सचिव श्री राजेन्द्र भगत, चिकित्सक डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा' एवं कार्तिक उराँव कुँड़ुख़ उच्च विद्यालय, मंगलो के प्राधानाचार्य श्री अरविन्द उराँव ने ग्रामीणों का मार्ग दर्षन किया।

वर्ष– 2020

दिनांक 21 मई 2020 दिन बईसाक पुर्णिमा को 22 पड़हा सामाजिक ग्रामसभा बिसु सेन्दरा का एक दिवसीय सम्मेलन ग्राम : सैन्दा, पो0 : छारदा, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड) के वीर बुधुभगत कुँड़ुख़ लूरएड़पा, छोटका सैन्दा में सम्पन्न हुआ। कोरोना महामारी के चलते अधिक लोग नहीं पहुँचे। समन्वनय सम्मेलन की अध्यक्षता एवं संचालन, परम्परागत गांव सभा के पंच्चों द्वारा किया गया। बैठक में परम्परागत आदिवासी समाज (उराँव) के बच्चों को परम्परागत षिक्षा तथा आधुनिक षिक्षा से जोड़ने तथा रूढ़ीगत सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए बिसुसेन्दरा 2019 में लिये गये निर्णय को सर्वसहमति से पारित एवं अनुमोदित किया गया। इस सम्मेलन में अद्दी अखड़ा, राँची से आये प्रतिनिधि डॉ० नारायण उराँव एवं श्री महादेव टोप्पो ने सुझाव दिया कि बिसुसेन्दरा के इस निर्णय को एक लिखित प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल एवं टी.आर.आई., रांची को भेजें।

वर्ष– 2022

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA – 1996) के धारा 4(घ) के अन्तर्गत दिनांक 21एवं 22 मई 2022 दिन शनिवार एवं रविवार को 22 पड़हा गांव (9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव) के ग्रामीणों द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार पड़हा–बिसुसेन्दरा का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज द्वारा आयोजित यह 22 पड़हा ग्रामसभा बिसु सेन्दरा का वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन ग्राम : अताकोरा गडरीटोला, थाना : भरनो, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता एवं संचालन, परम्परागत गांव सभा के पंच्चों द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं परम्पारिक ग्रामीण पुजारी महतो, पहान पुजार उपस्थित थे।

वर्ष– 2023

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के अन्तर्गत दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 दिन शनिवार एवं रविवार को 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गाव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी–परम्परा के अनुसार ''परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा'' का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज द्वारा आयोजित यह परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसु सेन्दरा का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन, ग्राम : बटकुरी, थाना : भरनो, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता एवं संचालन, परम्परागत गांव सभा के पंच्चों द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं परम्पारिक ग्रामीण पुजारी पहान, महतो, पुजार इत्यादि उपस्थित थे।

10. अमर शहीद बीर बुधू भगत का आन्दोलन और उरांव समाज का पड़हा–अखड़ा–धुमकुड़िया

छोटानागपुर के महाराजा का किला झारखण्ड में राँची जिला के रातू थाना क्षेत्र में अवस्थित है। वे रातू महाराजा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके समय काल में अंगरेजी हुकुमत तथा जंमीदार–महाजन के अन्याय के खिलाफ कई आदिवासी आंदोलन हुए। वर्ष 1830–31 में कोल विद्रोह तथा वर्ष 1831–32 में लरका आंदोलन हुआ। लरका आंदोलन के नायक अमर शहीद वीर बुधू भगत का क्रांति गाथा को भारतीय इतिहास में स्थान नहीं मिला। उस वीर नायक के कुटुम्ब के लगभग 300 से अधिक सदस्य एक ही दिन में शहीद हुए, जिसे भारतीय इतिहास में नजर अंदाज किया गया। सन् 1832 ई० का यह लरका आन्दोलन, एक असहयोग आन्दोलन के साथ गुरिला आंदोलन भी था। लोग छोटानागपुर के महाराजा को लगान देना बंद कर दिये थे। इसकी गवाही में वर्तमान गुमला जिला के सिसई थाना क्षेत्र के जंमीदार परिवार के वंशज श्री राजकिशोर शर्मा जी का कहना है कि लरका आंदोलन इतना भयावाह था कि रातू महाराजा (छोटानागपुर के महाराजा) का कोषागार खाली हो गया था और सिसई जमीदार ने महाराजा के फौज (घोड़ा–हाथी सहित) को 06 महीना तक संरक्षण (खाना–खोराकी) दिया। इसके बदले में रातू महाराजा द्वारा जंमीदारी के लिए 03 गांव (ग्राम छारदा, थाना सिसई, ग्राम हेंजवे, थाना माण्डर, ग्राम परसी, थाना कमडरा) का तोहफा दिया गया। वह दौर, अंगरेजी शासन के लिए भी एक बड़ा चुनौती था, जिसे अंगरेजों ने एक नई युक्ति से काम लिया। कहा जाता है – लरका आंदोलन, भूईंहरी–खूंटकटी एवं खेतीहर का आंदोलन था। उरांव–मुण्डा लोग, जंगल साफ करके भूईंहरी–खूंटकटी खेत बनाये और वे इस जमीन का लगान, नहीं देना चाहते थे। परन्तु रातू महाराजा जबरन सभी तरह के जमीन का लगान वसूल करवाते थे। इस जबरन वसूली के खिलाफ, मालगुजारी तथा बेठ–बेगारी के विरोध में अंगरेज और महाराजा के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ, जिसकी अगुवाई वीर बुधूभगत ने किया। कुछ ही दिनों बाद वीर बुधूभगत का विभत्स शहादत हो गया। इस विभत्स एवं डरावने शहादत से उराँव समाज का आधार स्तंभ पड़हा, अखड़ा और धुमकुड़िया धीरे–धीरे सहमता गया और यह आधार शिला दिनों–दिन कमजोर होते हुए प्राकृतिक मौत की ओर बढ़ते ही गई।

शहीद वीर बुधू भगत ने समाज की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था पड़हा–अखड़ा–धुमकुड़िया को संगठित कर अंगरेजी हुकुमत के खिलाफ आंदोलन किया था। इस सामाजिक सशक्तिकरण का अवयव अंग को अंगरेजी सरकार भी समझ चुकी थी कि – उरांव–मुण्डा क्षेत्र में पड़हा–धुमकुड़िया जबतक संगठित रहेगा, इस आंदोलन को जड़ से उखाड़ पाना कठिन होगा। इसलिए अंगरेजी हुकूमत ने अपने कार्य प्रणाली में बदलाव किया। अंगरेजी हुकुमत ने अपने काश्तकारों पर शासन करने के लिए कई नये तरीके लगाये। पहला – छोटानागपुर क्षेत्र में भूईंहरी–खूटकटी जमीन का सर्वे कराया गया, जिसे रखाल दास खतियान (1869–70 ई0) कहा जाता है। दूसरा – छोटानागपुर क्षेत्र में अंगरेजों द्वारा, अंगरेजी शिक्षा प्रणाली एवं धर्म को यहां के आदिवासियों के बीच अपना विचार थोपने के लिए यूरोप से चर्च को आमंत्रित किया। जिससे चर्च द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने आयातित धर्म को श्रेष्ठ माना और यहाँ के आदिवासियों के आस्था–विश्वास को विधर्मी कहा। अब समय की मांग है – वीर बुधू भगत के आन्दोलन का आधार स्तंभ पड़हा–अखड़ा–धुमकुड़िया फिर से जगे।''

11. परम्परागत पड़हा पंच्चा एवं न्यायिक व्यवस्था विषयक एक दिवसीय कार्यशाला रिर्पोट (टूड़मंजा)

वर्तमान संवैधानिक सह न्यायायिक व्यवस्था के तहत परम्परागत आदिवासी समुदाय के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इनकी पहचान एवं सम्मान का जो आधार है उसे संवैधानिक संरक्षण न मिलना मूल कारण है। इन कारणों में से – 1. भारत देश में दो तरह का कानून लागू है – (क) सामान्य नागरिक कानून (ख) विशेष सामाजिक कानून (हिन्दु उतराधिकार कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय ईसाई कानून आदि है।) 2. भारतीय भाषाओं में से आदिवासी भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान न मिलना। 3. परम्परागत आदिवासी समाज को शिक्षण संस्था खोलने एवं चलाने हेतु सरकारी कानून में स्थान न होना। जैसे, भारत देश में धार्मिक एवं भाषा अल्पसंख्यक कानून है, पर परम्परागत आदिवासी समाज तक इसकी पहूँच नहीं है।

'माननीय हाईकोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि आदिवासी समुदाय में हिन्दु उतराधिकार कानून नहीं लगता है। और अबतक आदिवासी समुदाय के लिए अलग से कोई कानून नहीं बना है। ऐसी स्थिाति में आदिवासी जएं तो जाएं कहां ? जब वे कोर्ट जाते हैं तो उन्हें उनका धर्म पूछा जाता है। इसी तरह अस्पताल भी में उनका धर्म पूछा जाता है। ज्ञात हो, अबतक भारत सरकार, उनकी आस्था–विश्वास का कोई नाम नहीं दिया है तो वे क्या बतलाएंगें। हां, इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं – जैसे, पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996)। इस कानून के Section 4(d) के तहत ग्रामसभा को सामाजिक मामले में निपटारा करने के लिए आदेश है, पर अबतक इस विषय पर राज्य सरकार से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। इसी तरह केन्द्र सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियाम 2008 लागू किया है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड स्वतंत्र धर्म अधिनियम 2017 लागू किया है। अब समाज निर्णय करे कि उसे किस रास्ते पर चलना है ।

उदाहरण – (तदनुसार, हम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रांची द्वारा 2017 के मूल वाद संख्या 583 में पारित दिनांक 16.3.2018 के निर्णय को रद्द करते हैं और इस मामले को कुटुंब न्यायालय को भेज देते हैं ताकि वह इस मामले में विवाह भंग करने के लिए पक्षकारों के समुदाय में प्रथागत तलाक के अस्तित्व के संबंध में एक उपयुक्त मुद्दा बनाये। हम पक्षकारों को, यदि वे ऐसा चाहते हैं ते, याचिकाओं में संशोधन और अपने समुदाय में प्रथागत तलाक के प्रावधान के अस्तित्व को साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं। कुटुंब न्यायालय इस न्यायालय द्वारा एतद्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना शीघ्रता से इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगा।)''

'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए *परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2023 एवं 2024 गुमला, मण्डल* में लिए गये निर्णय के आलोक में आज दिनांक 10 नवम्बर 2024 दिन रविवार को *परम्परागत ग्रामसभा पड़हा पंच्चा* का ग्राम सैन्दा थाना सिसई, जिला गुमला में एक दिवसीय कार्यशाला में विधि के जानकारों से विमर्श कर, त्रिस्तरीय परम्पागत ग्रामसभा–पड़हा–बेलपंच्चा न्याय व्यवस्था – 1) पद्दा पंच्चा (गांव की सभा) 2) पड़हा पंच्चा (पड़हा गांव की सभा) 3) बेलपंच्चा (पड़हा बेल लोगों की सभा, Belpanchcha is JURY Unit of Bisusendra) स्तर पर किसी विवाद के निपटारे हेतु सर्वसहमति से अनुमोदित किया गया। उराँव (कुँड़ुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक किया जाता हैं। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले **ग्राम सभा** के सामने, लिखित शिकायत करें। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज हो और शिकायत का निपटारा करें। इसकी यदि समीक्षा करनी हो तो, अपील I – पड़हा पंच्चा द्वारा एवं अपील II – बेलपंच्चा (बेलपंच्चा बैठक में कम से कम 03 या 05 या 07 या 09 पड़हा शामिल रहे) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा की औपचारिक अध्यक्षता, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तावित अथवा चयनित मदईत पड़हा बेल द्वारा जाए, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रकिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा या बेलपंच्चा के अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर या ठेपा निशान लगाएँ।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अनुसूचित क्षेत्र में PESA ACT 1996, Section 4(d) के तहत परम्परागत ग्रामसभा की बैठक हो और समाज में फैसले लिए जाएं। केन्द्र सरकार एवं विधि मंत्रालय द्वारा पारित, ग्राम न्यायालय 2008, सामान्य कानूनी प्रकिया का ग्रामीण सुलभता स्वरूप है। अतएव परम्परागत ग्रामसभा सामाजिक निर्देशिका आधार बने।

परम्परागत ग्रामसभा पड़हा पंच्चा, सिसई–भरनो, गुमला मण्डल (झारखण्ड) के पंच्च गण